


औरतों के लिए

रमज़ान के फृज़ाइल व मसाइल



हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहिब बुलब्द शहरी रह.

मुसलमान औरतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
व सल्लम की बातें

* औरतों के लिए *

रमज़ान के फ़ज़्राइल व मसाइल

लेखक

हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहिब
बुलन्द शहरी रह.

हिन्दी अनुवादः मुहम्मद इमरान कासमी


प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा. लि.)

422, मटिया महल, उर्दू मार्किट, जामा मस्जिद

देहली-110006

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं



नाम किताब	रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल
लेखक	मौलाना आशिक इलाही साहिब
हिन्दी अनुवाद	मुहम्मद इमरान कासमी
संयोजक	मुहम्मद नासिर खान
तायदाद	2100
प्रकाशन वर्ष	दिसम्बर 2003
कम्पोजिंग	इमरान कम्प्यूटर्स
	मुज़फ्फर नगर (0131-2442408)

>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, उर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली-110006
फ़ोन आफिस, 23289786, 23289159 आवास, 23280786

विषय सूची

क्र.सं.	क्या?	कहाँ?
1.	रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल व मसाइल	6
2.	रमज़ान की बरकत और फ़ज़ाइल व मसाइल	6
3.	नबी करीम का खुतबा	6
4.	रोज़े कि हिक्मत	8
5.	रोज़े की हिफ़ाज़त	9
6.	रोज़ा और सेहत	
7.	रोज़े की फ़ज़ीलत	11
8.	रोज़े की एक खास खूबी	13
9.	रोज़ेदारों के लिए जन्नत का एक खास दरवाज़ा	14
10.	रोज़ेदार को दो खुशियाँ	15
11.	रमज़ान और कुरआन	15
12.	रमज़ान में रोज़े और तरावीह व नवाफ़िल	16
13.	तरावीह	17
14.	रमज़ान आखिरत की कमाई का महीना है इसमें खूब ज्यादा इबादत करें	18
15.	रमज़ान और तहज्जुद	21
16.	रमज़ान और सखावत	21
17.	रोज़ा इफ्तार कराना	22
18.	रोज़े में भूलकर खा-पी लेना	23
19.	सेहरी खाना	23
20.	इफ्तार में जल्दी करना	23
21.	खजूर और पानी से इफ्तार	24
22.	रोज़ा जिसम की ज़कात है	24

क्र.सं.	क्या?	कहाँ?
23.	सर्दी में रोज़ा	24
24.	नापाकी की हालत रोज़े के खिलाफ़ नहीं	24
25.	रोज़े में मिस्वाक	25
26.	रोज़े में सुर्मा	25
27.	रमजान के आखिरी दशक में इबादत का खास एहतिमाम किया जाये	25
28.	शबे-कद्र और उसकी दुआ	27
29.	शबे-कद्र की फ़ज़ीलत	27
30.	शबे-कद्र की तारीखें	31
31.	लड़ाई-झगड़े का अंसर	31
32.	शबे-कद्र को मुतैयन न करने में मस्लेहतें	32
33.	रमजान के आखिरी दस दिनों में एतिकाफ़	33
34.	आखिरी रात की बख्शिशें	35
35.	ईद का दिन	35
36.	सदका-ए-फ़ित्र	36
37.	किन लोगों को रमजान का रोज़ा छोड़कर बाद में रखने की इजाज़त है	37
38.	फ़िदये का हुक्म	40
39.	माहवारी वाली औरत न रोज़ा रखे न नमाज़ पढ़े लेकिन बाद में रोज़ों की कज़ा करे	41
40.	शरीअत के अहकाम को हिक्मत और वजह मालूम किये बगैर मानना लाजिम है	42
41.	नफ़्ली रोज़ों का सवाब और औरत को शौहर की इजाज़त के बगैर नफ़्ली रोज़े न रखने का हुक्म	44
42.	रोज़ाना रोज़ा रखने की मनाही	45

क्र.सं.	क्या?	कहाँ?
43.	फर्ज रोजों के अदा करने और कज़ा में शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं	46
44.	पीर और जुमेरात और चाँद की 13, 14, 15 तारीख के रोज़े	47
45.	बकर-ईद की नवीं तारीख का रोज़ा	47
46.	आशूरा का रोज़ा	47
47.	ईद के महीने में छह रोज़े रखने की फजीलत	48
48.	नफ़्ली रोज़ा रखकर तोड़ देने से उसकी कज़ा लाज़िम होती है	49
49.	अगर रोज़ेदार के पास कोई खाने लगे तो रोज़ेदार के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं	52
50.	शाबान के महीने के रोज़े और दूसरे आमाल	54
51.	शाबान के महीने में रोज़ों की कसरत	54
52.	शबे बरात में रहमत व मग़ाफिरत की बारिश और खास-खास गुनाहगारों की बछिंश न होना	54
53.	शबे बरात में आईन्दा साल के फैसले	55
54.	रात को दुआ और इबादत और दिन को रोज़ा रिवायतों का खुलासा और शबे बरात के आमाल	56
55.	शाबान की पन्द्रहवीं रात में जो बिदूअतें और खुराफ़ात अन्जाम दी जाती हैं उनका बयान	57
56.	आतिशबाज़ी और रोशनी	58
57.	मस्जिदों में इकट्ठा होना	59
58.	हलवे की रस्म	61
59.	मसूर की दाल	61
60.	बरतनों का बदलना और घर का लीपना	63
61.		63

रमज़ान के फज़ाइल व मसाइल

रमज़ान की बरकत और फज़ाइल व मसाइल

नबी करीम का खुतबा

हदीसः (1) हज़रत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया कि हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में हमको खुतबा (संबोधन) फरमाया कि “ऐ लोगो! एक बड़ाई वाला महीना आ पहुँचा है, जो मुबारक महीना है। उसमें एक रात है जो हजार महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह तआला ने फर्ज़ फरमाये हैं और इसकी रातों में ‘कियाम करना’ (यानी नमाजों में खड़ा होना) तत्व्योऽ (गैर फर्ज़) करार दिया है। इस महीने में जो शख्स कोई नेक काम करेगा उसको ऐसा अज्ञ व सवाब मिलेगा जैसे उसके अलावा दूसरे महीने में फर्ज़ अदा करता, और फर्ज़ का सवाब मिलता। और जो शख्स इस महीने में एक फर्ज़ अदा करे तो उसको सत्तर फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा।

यह सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है और यह आपस की गमख्वारी का महीना है, इसमें मोमिन का रिक्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करा दे तो यह उसकी मगफिरत का और दोज़ख से उसकी गर्दन की आजादी का सामान बन जायेगा और उसको उसी कद्र सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार को मिलेगा, मगर रोज़ेदार के सवाब में से कुछ कमी न होगी।

हज़रत सलमान रजियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हमने अर्जु किया या रसूलल्लाह! हममें से हर शख्स को इतना मयस्सर नहीं जो रोज़ा इफ्तार करा दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तअला यह सवाब उसको (भी) देगा जो पानी मिले हुए थोड़े-से दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से इफ्तार करा दे। (आपने आगे यह भी फ़रमाया कि) जो शख्स (इफ्तार के बाद) किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिला दे उसको अल्लाह तअला मेरे हौज से ऐसा सैराब करेंगे कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा, (और फिर जन्नत में तो भूख-प्यास का नाम ही नहीं)। इस महीने का पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फिरत है; तीसरा हिस्सा दोज़ख से आज़ादी का है। जिसने इस महीने में अपने गुलाम का काम हल्का कर दिया तो अल्लाह उसकी मग़फिरत फ़रमा देगे।

बाज़ रिवायात में भह भी आया है कि ओ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस मौके पर यह भी फ़रमाया कि इस महीने में चार कामों की कसरत करो, इनमें से दो काम ऐसे हैं कि उनके ज़रिये तुम अपने परवर्दिंगार को राज़ी करोगे, दो काम ऐसे हैं जिनसे तुम बेपरवाह नहीं हो सकते हो। वे दो काम जिनके ज़रिये खुदा-ए-पाक की खुशनूदी हासिल होगी ये हैं: (1) ला इला-ह इल्लल्लाहु का विर्द रखना (2) खुदा-ए-पाक से मग़फिरत तलब करते रहना। और वे दो चीज़ें जिनसे तुम बेपरवाह नहीं रह सकते ये हैं: (1) जन्नत का सवाल करना (2) दोज़ख से पनाह माँगना।

तशरीह: इनसान की पैदाइश इबादत और सिर्फ़ इबादत के लिए है, जैसा कि सूरः ज़ारियात में फ़रमाया गया:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

تَرْجُمَا: और मैंने इनसान और जिन्न को नहीं पैदा किया मगर इस वास्ते कि वे मेरी इबादत करें।

रोज़ा बदनी इबादत है जो पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था जैसा कि सूरः व-करः में फ़रमाया है:

بِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

تَرْجُمَا: ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गये जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गये थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। ये रोज़े अन्दर दिन के हैं।

रोज़े कि हिक्मत

“ताकि तुम परहेज़गार बनो” में रोज़े की हिक्मत की तरफ इशारा फ़रमाया है। तक्वा छोटे बड़े, ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचने का नाम है। आयते करीमा ने बताया कि रोज़े का फ़र्ज़ होना तक्वा (परहेज़गारी) हासिल करने के लिए है। बात यह है कि इनसान के अन्दर हैवानी ज़्यात है, नफ़सानी ख़्वाहिशें साथ लगी हैं, जिनसे नफ़स का उभार गुनाहों की तरफ होता रहता है रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिससे हैवानी ज़्यात कमज़ोर होते हैं और नफ़स का उभार (जोश) कम हो जाता है। और शहवतों व लज़्ज़तों की उमंग घट जाती है।

पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखना हर आकिल, बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। एक महीने खाने पीने और जिन्सी (सैक्सी) ताल्लुकात के तकाज़ों पर अमल करने से अंगर रुका रहे तो बातिन के अन्दर एक निखार और नफ़स के अन्दर सुधार पैदा हो जाता है। अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े उन अहकाम व आदाव की रोशनी में रख ले जो कुरआन व हडीस में बयान किये गये हैं तो वाकई नफ़स साफ़ सुधरा

हो जाता है। फिर नफ्स में उभार (यानी गुनाहों की तरफ रुझान और मैलान) होता है तो अगला रमजान आ भौजूद होता है।

रमजान मुबारक के रोज़ों के अलावा नफ्ली रोज़े भी शरीअत में रखे गये हैं, उन रोज़ों का मुरत्किल सवाब है जो हडीस में ज़िक्र किया गया है। और सवाब के अलावा नफ्ली रोज़ों का यह फ़ायदा भी है कि रमजान मुबारक के रोज़े रखते वक्त जो अमली कोताहियाँ हुई और आदाव की रियायत का ख्याल न रहा उस कोताही की तलाफ़ी हो जाती है। जो गुनाह इनसान से हो जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ें गुनाह का सबब बनती हैं- एक मुँह, दूसरी शर्मगाह। चुनाँचे इमाम तिमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से नकल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरियाप्त किया गया कि सबसे ज़्यादा कौनसी चीज़ दोज़ख में दाखिल कराने का ज़रिया बनेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब दिया: मुँह और शर्मगाह। इन दानों को दोज़ख में दाखिल कराने में ज़्यादा दखल है। रोज़े में मुँह और शर्मगाह दोनों पर पाबन्दी होती है और ज़िक्र हुई दोनों राहों से जो गुनाह हो सकते हैं, रोज़ा उनसे रोकने का बहुत बड़ा ज़रिया है इसी लिये तो एक हडीस में फरमाया: रोज़ा ढाल है (गुनाह से और दोज़ख की आग से भी बचाता है)। (बुखारी व मुस्लिम)

रोज़े की हिफाज़त

अगर रोज़े को पूरी पाबन्दी और अहकाम व आदाव की पूरी रियायत के साथ पूरा किया जाये तो बिला शुब्दा गुनाहों से महफूज़ रहना आसान हो जाता है। खास रोज़े के वक्त भी और उसके बाद भी, हाँ अगर किसी ने रोज़े के आदाव का ख्याल न किया और गुनाहों में मशगूल रहते हुए रोज़े की नीयत कर ली और खाने-पीने और

नफ़सानी ख्वाहिश से बाज़ रहा मगर हराम करने और ग़ीबत करने में लगा रहा तो उससे फ़र्ज़ तो अदा हो जायेगा मगर रोज़े की बरकतें और उसके ज्ल से मेहरूमी रहेगी जैसा कि हदीस की किताब निसाई शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद नकल किया है:

हदीस: रोज़ा ढाल है जब तक उसको फ़ाड़ न डाले।

और एक हदीस में इरशाद फ़रमाया:

हदीस: जो शख्स रोज़ा रखकर झूठी बात और ग़लत काम न छोड़े तो अल्लाह को कुछ हाजत नहीं कि वह (गुनाहों को छोड़े बगैर) सिर्फ़ खाना-पीना छोड़ दे।

मालूम हुआ कि खाना, पीना और जिन्सी ताल्लुकात छोड़ने ही से रोज़ा कामिल नहीं होता बल्कि रोज़े को बुरे कामों और गन्दी बातों और हर तरह के गुनाहों से महफूज़ रखना लाजिम है। रोज़ा मुँह में हो और आदमी बद-कलामी करे, यह उसके लिये ज़ेब नहीं देता। इसी लिये तो दो जहाँ के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

हदीस: जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो गन्दी बातें न करे, शोर न मचाये, अगर कोई शख्स गाली-गलोज या लड़ाई-झगड़ा करने लगे (तो उसको गाली-गलोज या थप्पड़ से जवाब न दे) बल्कि यूँ कह दे कि मैं रोजेदार आदमी हूँ। (गाली-गलोज करना या लड़ाई लड़ना मेरा काम नहीं)।

हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि बहुत-से रोजेदार ऐसे हैं जिनके लिए (हराम खाने या हराम काम करने या ग़ीबत बगैरह करने की वजह से) प्यास के अलावा कुछ भी नहीं। और बहुत-से तहज्जुद

गुजार ऐसे हैं जिनके लिए (रियाकारी की वजह से) जागने के सिवा कुछ नहीं। (दारमी)

रोज़ा और सेहत

रोज़े में जहाँ ज़ाहिर व बातिन की सफाई होती है वहाँ सेहत व तन्दुरुस्ती भी हासिल होती है, चुनाँचे हाफिज़ मुन्ज़री रहमतुल्लाहि अलैहि ने “अल्लाहीब वत्तरहीब” में हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद नक़ल किया है:

हदीसः जिहाद करो गनीभत (दुश्मन का माल व दौलत) हासिल होगी, रोज़े रखो तन्दुरुस्त रहोगे, सफर करो मालदार हो जाओगे।

हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल हक़ है। आँखों के सामने है, डॉक्टर व हकीम लोग भी यह बात बताते हैं कि रोज़े का जिस्मानी सेहत से खास ताल्लुक है, और रमजान में जो माजरा सब अपनी आँखों से देखते हैं कि बारह चौदह घण्टे ख़ाली पेट रहकर इफ्तार के बक्त नरम-गरम दाल, पकौड़े, कच्चे-पक्के चने और तरह-तरह की चीज़ें चन्द मिनट के अन्दर मेदे (पेट) में पहुँच जाती हैं, और कुछ भी किसी को तकलीफ नहीं होती, यह सिर्फ़ रोज़े की बरकत है। अगर तिब्बी नुक्ता-ए-नज़र से देखा जाये तो इस तरह ख़ाली पेट अनाप-शनाप भरती कर लेने की वजह से मेदा सख्त बीमार हो जाना चाहिए।

रोज़े की फज़ीलत

एक रोज़ा रख लेने से खुदा पाक की तरफ़ से क्या इनाम मिलता है? इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया:

हदीसः जो शख्स अल्लाह की खुशनूदी के लिए एक दिन रोज़ा

रखे अल्लाह तआला उसको दौज़ख की आग से इतनी दूर कर देंगे
जितनी दूर कोई शख्स सत्तर साल तक चलकर पहुँचे।

(बुखारी व मुस्लिम)

इस हदीस में नफिल या फर्ज रोज़े की तख्सीस नहीं की गयी है,
और खास रमजान के रोज़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व
सल्लम का इरशाद है:

हदीसः शरअन जिसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त न हो और
आगिज़ करने वाला मर्ज़ भी उसे न लगा हो, उसने अगर रमजान का
एक रोज़ा छोड़ दिया तो उम्र भर रोज़े रखने से भी उस एक रोज़े की
तलाफ़ी न होगी, अगरचे बतौर कज़ा उम्र भर भी रोज़े रख ले।

(अहमद, तिर्मज़ी, अबू दाऊद व इब्ने माजा)

बात यह है कि हर चीज़ का एक मौसम होता है, और मौसम के
एतिवार से चीज़ों और गुल्लों वगैरह की कीमत बढ़ती और चढ़ती है,
माह रमजान मुबारक फर्ज़ रोज़ों के लिये मख्सूस कर दिया गया है।
अगर किसी ने अपनी बदबूख़ती से रमजान का एक रोज़ा छोड़ दिया,
उसके आमालनामे में 'गुनाहे-कबीरा' (बड़ा गुनाह) तो लिखा ही गया
और रोज़ा रखने पर जो बहुत बड़ा सेवाब और बहुत बड़ी ख़ेर व
वरकत से मेहरूमी हुई वह इसके अलावा है जो बहुत बड़ा नुकसान है।
उस एक रोज़े के बदले अगर उम्र भर भी रोज़े रखे तब भी वह बात
हासिल न होगी जो रमजान में रोज़ा रखने से हासिल होती, हाँ एक
रोज़ा कज़ा की नीयत से रख देने से मसले के एतिवार से तो यह कह
देंगे कि कज़ा रखने की ज़िम्मेदारी से 'सबुकदोशी' (मुक्ति और
छुटकारा) हो गयी, और ज़ाबते की कज़ा रखने से कज़ा रखने का जो
हुक्म है उसका पालन समझ लिया जायेगा, लेकिन यह ख़्याल कर लेना
कि इससे उस सेवाब की तलाफ़ी हो जायेगी जो रमजान में रोज़ा रखने

से मिलता और वे बरकतें भी नसीब हो जायेंगी जो माह रमजान में रोज़ा रखने से हिस्से में आ जातीं, यह गृहत ख्याल है।

आजकल बहुत-से हट्टे-कट्टे तन्दुरस्त व ताकतवर और अच्छे-खासे लोग रमजान शरीफ के रोज़े नहीं रखते, ज़रा-सी भूख व प्यास और मामूली-सी बीड़ी, सिगरेट और पान तम्बाकू की तलब पूरी करने की वजह से रोज़े खा जाते हैं और सख्त गुनाहगार होते हैं, यह ज़बरदस्त बुज़दिली और बेहिमती बल्कि बहुत बड़ी बेवफाई है, कि जिसने जान दी, हाथ-पैर दिये, इनसानियत का शर्फ (सम्मान) बख्शा, उसके लिये ज़रा-सी तकलीफ गवारा नहीं। रमजान के रोज़े रखना उन पाँच अरकान में से है जिनपर इस्लाम की बुनियाद है, जिसने रमजान के रोज़े न रखे उसने इस्लाम का एक रुक्न गिरा दिया और सख्त मुजरिम हुआ।

रोज़े की एक ख़ास खूबी

हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोज़े के बारे में यह भी इशाद फ़रमाया कि:

हृदीसः इनसान के हर अमल का अज्ञ (कम से कम) दस गुना बढ़ा दिया जाता है, (लेकिन) रोज़े के बारे में अल्लाह तआला का इशाद है कि रोज़ा इसे क़ानून से अलग है क्योंकि वह ख़ास मेरे लिये है और मैं ही उसका अज्ञ दूँगा। बन्दा मेरी दृजह से अपनी ख़ाहिशों को और खाने पीने को छोड़ देता है। (बुखारी व मुस्लिम)

इबादतें तो सब अल्लाह के लिए हैं, फिर रोज़े को ख़ास अपने लिए क्यों फ़रमाया? इसके बारे में उम्मत के आलिमों ने बताया है कि चूँकि दूसरी इबादतें ऐसी हैं जिनमें अमल किया जाता है और अमल नज़रों के सामने आ सकता है, इसलिए उनमें दिखावे का एहतिमाल

(शक और संदेह) रहता है, मगर रोज़ा अमल और काम नहीं है बल्कि फेल और काम को छोड़ना है, इसमें कोई काम नज़र के सामने नहीं आता इसलिए रिया (दिखावे) से दूर है। रोज़ा वही रखेगा जिसे खुदा-ए-पाक का डर होगा, और रोज़ा रखकर रोज़े को वही बाकी रखेगा जिसका सिर्फ सवाब के लेने का इरादा हो। अगर कोई शख्स रोज़ा रखकर तन्हाई में कुछ खा-पी ले और लोगों के सामने आ जाये तो बन्दे तो उसे रोजेदार ही समझेंगे, रोज़ा रखकर रोज़े को वही पूरा करता है जो खालिस अल्लाह की रिज़ा का तालिब होता है, इसी लिए “अस्सौमु ली” (यानी रोज़ा खास मेरे लिए है) फरमाया, फिर जिस अमल में रिया (दिखावे) का एहतिमाल भी न हो उसका सवाब भी विशेष और नुमायाँ होना चाहिये, चुनाँचे खुदा तभाला दूसरी इबादतों का सवाब फरिश्तों से दिला देते हैं और रोज़े का सवाब खुद इनायत फरमायेंगे जो बे-इन्तिहा होगा।

मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब मिरकात में फरमाया है कि रोज़े के सवाब का अन्दाज़ा और उसकी मात्रा अल्लाह पाक के अलावा और किसी को मालूम नहीं इसलिए कि रोज़े के अन्दर कुछ ऐसी खुसूसियतें और विशेषताएँ हैं जो दूसरी इबादतों में नहीं पाई जातीं इसी लिए अल्लाह तभाला ने इसका अज्ञ अपनी जात से मुतालिक रखा, फरिश्तों को इसका अज्ञ देने पर मामूर नहीं फरमाया।

रोजेदारों के लिए जन्नत का एक खास दरवाज़ा

हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में

आठ दरवाज़े हैं, जिनमें से एक का नाम रय्यान (1) है, इससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। (मिश्कात शरीफ पेज़: 173)

रोज़ेदार को दो खुशियाँ

हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि:

हदीसः रोज़ेदार के लिये दो खुशियाँ हैं- एक खुशी इफ्तार के वक्त होती है और एक खुशी उस वक्त होगी जब अपने रब से मुलाकात करेगा।

दर हकीकत रब की मुलाकात ही तो इबादत का असल मकसद है, उस वक्त की खुशी का क्या कहना जब आजिज़ बन्दे अपने माबूद से मुलाकात करेंगे। अल्लाह तआला हम सब को यह मुलाकात नसीब फरमाये। आमीन।

रमज़ान और कुरआन

अल्लाह के कत्ताम को रमज़ान मुबारक से ख़ास ताल्लुक है जैसा कि سूरः ब-करः में इरशाद फरमाया है:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

तर्जुमा: माह रमज़ान है जिसमें कुरआन नाज़िल किया गया।

“क्या मेरे रमज़ान” यानी तरावीह की नमाज़, यह भी कुरआन शरीफ पढ़ने और सुनने के लिये है। दिन को रोज़े में मशगूलियत और रात् को तरावीह में खड़े होकर जौक व शौक से कुरआन पढ़ना या सुनना इससे मोमिन के दिल में एक अंजीव सुखर पैदा होता है, और ये दोनों शाग़िल कियामत के दिन मोमिन के काम आयेंगे। हुजूरे अक्दस

(1) रय्यान के भयने हैं सैरावी वाला, चूँकि रोज़ेदारों ने रोज़े की हालत में दुनिया में प्यास की तकलीफ उठायी जिसका अन्न जन्नत की सैरावी होगी, इसलिए उस दरवाजे का नाम रय्यान रखा गया है जिससे रोज़ेदार जन्नत में दाखिल होंगे।

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

हीसः रोज़ा और कुरआन बन्दे के लिये बारगाहे खुदावन्दी में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा कि ऐ रव! मैंने इस बन्दे को दिन में खाने पीने और दूसरी ख्वाहिशों से रोक दिया था। लिहाज़ा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा लीजिये। और कुरआन मजीद अर्ज करेगा कि मैंने इसे रात को सोने नहीं दिया लिहाज़ा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा लीजिये, चुनाँचे दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जायेगी। (मिश्कात शरीफ पेज 173)

हर साल रमज़ान मुबारक में हजरत जिबराईल अलैहिस्सलाम हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुरआन मजीद का दौर किया करते थे। आँ हजरत जिबराईल अलैहिस्सलाम को सुनाते और वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सुनाते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हुई उस साल दो बार दौर किया इससे पहले एक बार दौर किया करते थे। (बुखारी)

इससे मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक में कुरआन के हाफ़िज़ हज़रत का एक-दूसरे को सुनाने का जो राईज तरीका है यह सुन्नत है, रमज़ान में हिम्मत करके हाफ़िज़ व ‘नाज़रा’ (देखकर पढ़ने वाले) खूब कुरआन की तिलावत करें, दस पाँच तो ख़त्म कर ही लें।

रमज़ान में रोज़े और तरावीह व नवाफ़िल

हीसः (2) हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब का यकीन रखते हुए रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जिसने रमज़ान (की रातों) में ईमान के साथ और सवाब का यकीन

रखते हुए क्याम किया (तरावीह और नफिल में मशगूल रहा) उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जिसने शबे-कद्र में ईमान के साथ सवाब समझते हुए क्याम किया उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। (मिश्कात शरीफ पेज 173, बुखारी व मुस्लिम के हवाले से)

तशरीह: इस मुबारक हदीस में रमज़ान शरीफ के रोज़े पर पिछले गुनाहों की माफी का वायदा फरमाया है, और रमज़ान की रातों में क्याम (तरावीह व नवाफिल पढ़ने) और शबे-कद्र में क्याम करने की फ़ज़ीलत बतायी है, और रमज़ान में रात को अल्लाह के सामने नमाज में खड़े होने इसी तरह शबे-कद्र में इबादत करने पर भी पिछले गुनाहों की माफी का ऐलान फरमाया।

रमज़ान मुबारक में रातों को नमाजें पढ़ते रहना “क्यामे-रमज़ान” कहलाता है। तरावीह भी इसमें दाखिल है, और तरावीह के अलावा जितने नवाफिल पढ़ सकें, पढ़ते रहें। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि से नक़ल किया गया है कि वह रोज़ाना तरावीह जमाअत के साथ से फ़ारिग़ होकर सुबह तक एक कुरआन मजीद नमाज में खड़े होकर ख़त्म कर लेते थे, और एक कुरआन मजीद रोज़ाना दिन में ख़त्म करते थे, इस तरह से रमज़ान में उनके इक्सठ (61) ख़त्म हो जाते थे।

तरावीह

तरावीह की नमाज मर्दों, औरतों सबके लिये बीस रकअत सुन्नते मुअक्कदा है, और मर्दों के लिये यह भी मसनून है कि मस्जिद में जमाअत के साथ तरावीह पढ़ें। हाफिज़ हों तो खुद कुरआन सुनायें वरना दूसरों का कुरआन सुनें। रमज़ान में कुरआन पढ़ने और सुनने का ज़ौक बढ़ जाना मोमिन के ईमान का तकाज़ा है। जो लोग तरावीह

की नमाज़ में सुस्ती करते हैं या बेहिसाब तेज़ पढ़ने वाले हाफ़िज़ को तरावीह पढ़ाने के लिये तजवीज़ करते हैं ताकि जल्दी फ़ारिग़ हो जायें (अगरचे उस तेज़ पढ़ने में कुरआन के हुख्फ़ कट जायें और मायने बदल जायें) ऐसे लोग सख्त गलती पर हैं। साल में एक महीने के लिये तो यह मौक़ा नसीब होता है इसमें भी मस्जिद और नमाज़ से लगाव न हो और जल्दी भागने की कोशिश करें जैसे जेल से भाग रहे हों बहुत बड़ी मेहरुमी है। ऐसे लोग तरावीह के अलावा क्या नफ़िल पढ़ते होंगे, तरावीह जो सुन्नते मुअक्कदा है उसी को बदू-दिली से पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ने का नाम करके जल्दी से होटल में जाकर खेल-तमाशे और बेकार के मशगुलों में मशगूल हो जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिझ़न।

बहुत-सी औरतें रोज़े तो ख़ूब रखती हैं और शबे-क़द्र में भी ख़ूब जाग लेती हैं लेकिन तरावीह पढ़ने में सुस्ती करती हैं।

ऐ माँओ-बहनो! आखिरत के कामों में ग़फ़लत न बरतो। तरावीह पूरी बीस रक़अत पढ़ा करो। अगर किसी वजह से जैसे बच्चों के रोने चीख़ने या उनके बीमार होने की वजह से शुरू रात में पूरी तरावीह न पढ़ सको तो जब सेहरी के लिये उठो उस वक्त पूरी कर लो, बल्कि अगर शुरू रात में पूरी ही नमाज़ तरावीह रह जाये तो पूरी बीस रक़अतें सेहरी के वक्त पढ़ लो।

रमज़ान आखिरत की कमाई का महीना है

इसमें ख़ूब ज्यादा इबादत करें

हीस: (3) हज़रत अबू हूरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फरमाया हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब रमज़ान (का महीना) दाखिल होता है तो आसमान के दरवाज़े खोल

दिये जाते हैं, और बाज़ रिवायतों में है कि जन्नत के दरवाज़े खुलवा दिये जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतानों को (ज़ंजीरों में) जकड़ दिया जाता है। (और एक रिवायत में है कि) रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।

(मिश्कात शरीफ पेज 173 बुखारी व मुस्लिम से)

हदीस: (4) हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्न जकड़ दिये जाते हैं, और दोज़ख के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं। फिर (रमज़ान के ख़त्म होने तक) उनमें से कोई एक दरवाज़ा भी नहीं खोला जाता। और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं फिर (रमज़ान के ख़त्म होने तक) उनमें का एक दरवाज़ा भी बन्द नहीं किया जाता। और एक पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ खैर की तलाश करने वाले! आगे बढ़, और ऐ बुराई के तलाश करने वाले! रुक जा। (मिश्कात शरीफ पेज 173 तिर्मिज़ी के हवाले से)

तशरीह: इन दोनों हदीसों से चन्द बातें मात्रम हुईः

पहली: यह कि रमज़ान के शुरू महीने से ही जन्नत के और रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, जो महीने के ख़त्म तक बन्द नहीं किये जाते, और दोज़ख के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं जो महीना ख़त्म होने तक नहीं खोले जाते।

दूसरी: रमज़ान का महीना आने पर शैतानों और सरकश जिन्नात को जकड़ दिया जाता है।

तीसरी: एक पुकारने वाला रोज़ाना रमज़ान की रातों में पुकार कर कहता है कि ऐ नेकी के तलाश करने वाले! आगे बढ़, और ऐ बुराई करने वाले! रुक जा।

चौथी: रमज़ान में रोज़ाना रात को अल्लाह जल्ल शानुहू बहुत-से लोगों को दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं।

रमज़ान मुबारक बहुत ही ख़ैर व बरकत का महीना है, और आखिरत की कमाई का बहुत बड़ा सीज़न है, जैसे सर्दी के ज़माने में गर्म कपड़े वालों की ख़ूब कमाई होती है और जैसे बारिश में टैक्सी वालों की ख़ूब चाँदी बन जाती है, इसी तरह आखिरत की कमाई के लिये भी ख़ास-ख़ास मौके आते रहते हैं।

रमज़ान मुबारक नेकियों का महीना है, इसमें अज्र व सवाब ख़ूब ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। नफ़िल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सत्तर फ़ज़ौं के बराबर सवाब मिलता है। जैसा कि नबी-ए-पाक के खुतबे में गुज़र चुका है। इस महीने में नेकियों की ऐसी हवा चलती है कि खुद-ब-खुद तबीयतें नेकी पर आ जाती हैं और अल्लाह का मुनादी भी नेकी करने वालों को थपकी दे-देकर आगे बढ़ता है, आखिरकार ऐसी सूरत में मोमिन बन्दे ख़ूब ज़ोर शोर से नेकियों में लग जाते हैं। जो शख़्स दूसरे महीनों में दो रक़अत नमाज़ पढ़ने से जान चुराता है वह रमज़ान मुबारक में पंज-वक़ता नमाज़ और तिलावत का पाबन्द हो जाता है, और न सिर्फ़ पंज-वक़ता फ़र्ज़ पढ़ता है बल्कि इशा के फ़ज़ौं के बाद तरावीह की ख़ूब लम्बी-लम्बी बीस रक़अतें खुशी-खुशी के साथ अदा कर लेता है। बहुत-से शराबियों को देखा गया है कि इस माह में शराब छोड़ देते हैं और हराम-ख़ोर हराम खाने से बाज़ आ जाते हैं।

फ़ज़ौं की पाबन्दी तो बहरहाल ज़रूरी है, नफ़िल नमाज़, ज़िक्र, तिलावत और दूसरी इवादतों की तरफ भी खुसूसी तवज्जोह करना चाहिये। इस माह में कोशिश करें कि कोई मिनट ज़ाया न हो। ला इला-ह इल्लाहु और इस्ताग्फ़ार की कसरत करें (यानी ख़ूब ज्यादा

करें) और जन्नत का सवाल और दोज़ख से महफूज़ रहने की दुआ भी कसरत से करें, जैसा कि नबी पाक के खुतबे में गुज़र चुका है।

शायद किसी के दिल में यह ख्याल गुज़रे कि जब शैतान बन्द हो जाते हैं तो बहुत-से लोग रमज़ान में भी गुनाहों में मुक्तिला क्यों नज़र आते हैं? बात असल यह है कि इनसान का नफ़्स गुनाह कराने में शैतान से कम नहीं है, जिन लोगों को गुनाहों की ख़ूब आदत हो जाती है, उन्हें गुनाहों का चस्का पड़ जाता है, शैतान के तरगीब दिये बगैर भी उनकी ज़िन्दगी की गाड़ी गुनाहों की पटरी पर चलती रहती है। गुनाह तो इनसान से हो ही जाता है, मगर गुनाह का आदी बनना और उसपर कायम रहना और रमज़ान जैसे महीने में गुनाह करना बहुत ही ज्यादा ख़तरनाक है। जहाँ गुनाह कराने के लिये शैतान के बहकाने की भी ज़रूरत न पड़े वहाँ नफ़्स की शरारत का क्या हाल होगा?

रमज़ान और तहज्जुद

रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि तहज्जुद के वक्त सेहरी खाने के लिये तो उठते ही हैं, सेहरी खाने से पहले या बाद में (जब तक सुबह सादिक न हो) जिस कद्र मयस्सर हो सके नवाफ़िल पढ़ लिया करें, इस तरह पूरे रमज़ान में तहज्जुद नसीब हो सकती है, फिर आदत पड़ जाये तो बाद में भी जारी रख सकती हैं, वरना कम-से-कम रमज़ान में तो तहज्जुद की पाबन्दी कर ही लें।

रमज़ान और सखावत

रमज़ान मुबारक सखावत का महीना है। इसमें जिस कद्र अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाये कम है, क्योंकि यह महीना आखिरत की कमाई का महीना है, इसमें रोज़ा इफ़तार कराने और रोज़ा खोलने के

बाद रोज़ेदार को पेट भर के खिलाने की भी ख़ास फ़ज़ीलत आई है और इस महीने को “शहरुल-मुवासात” (ग्रम खाने का महीना) फ़रमाया है, जैसा कि नबी पाक سल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खुतबे में गुज़रा। ग़रीबों की इमदाद और उनका ख़्याल रखना इस महीने के कामों में एक अहम काम है। एक हदीस में इरशाद है:

हदीس: जब रमज़ान का महीना आ जाता था तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर कैदी को आज़ाद फ़रमाते थे और हर सवाल करने वाले को अता फ़रमाते थे। (मिश्कात शरीफ)

एक और हदीस में है:

हदीस: हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सब लोगों से ज्यादा सखी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सखावत रमज़ान मुबारक में तमाम दिनों से ज्यादा हो जाती थी। रमज़ान में हर रात को हज़रत जिबराईल अलैहिस्सलाम आप से मुलाक़ात करते थे (और) आप उनको कुरआन शरीफ सुनाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जिबराईल अलैहिस्सलाम मुलाक़ात करते थे तो आप उस हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते थे जो बारिश लाती है।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

रोज़ा इफ्तार कराना

फ़रमाया ख़ातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिसने रोज़ेदार का रोज़ा खुलावाया या मुजाहिद को सामान दे दिया तो उसको रोज़ेदार और मुजाहिद जैसा अन्न मिलेगा। (बैहकी जैद बिन ख़ालिद से) और ग़ाज़ी व रोज़ेदार के सवाब में कुछ कमी न होगी, जैसा कि दूसरी हदीस से साबित है।

रोज़े में भूलकर खा-पी लेना

फरमाया रहमतुल्लिल्-आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जो शख्स रोज़े में भूलकर खा-पी ले तो रोज़ा पूरा कर ले क्योंकि (उसका कुछ कुसूर नहीं) उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया।

(बुखारी व मुस्लिम)

सेहरी खाना

फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि सेहरी खाया करो क्योंकि सेहरी में बरकत है। (बुखारी व मुस्लिम)

और यह भी फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में सेहरी खाने का फ़र्क है। (मुस्लिम)

और एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि सेहरी खाने वालों पर खुदा और उसके फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं। (तिबरानी)

इफ़तार में जल्दी करना

फरमाया नबी-ए-रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि लोग हमेशा ख़ैर पर रहेंगे जब तक इफ़तार में जल्दी करते रहेंगे, यानी सूरज छुपते ही फौरन रोज़ा खोल लिया करेंगे। (बुखारी व मुस्लिम)

और फरमाया रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बन्दों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा वह है जो इफ़तार में सबसे ज्यादा जल्दी करने वाला है, यानी सूरज के छुपते ही फौरन इफ़तार करता है, और उसमें जल्दी का खूब एहतिमाम रहता है। (तिर्मिज़ी)

और फरमाया दोनों जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब उधर से (यानी पूरब से) रात आ गयी और इधर से (यानी

पश्चिम से) दिन चला गया तो रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हो गया। (आगे इन्तज़ार करना फुजूल है बल्कि मक्कह है)। (मुस्लिम)

खजूर और पानी से इफ्तार

फरमाया रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब तुम रोज़ा खोलने लगो तो खजूरों से इफ्तार करो क्योंकि खजूर पूरी की पूरी बरकत है। अगर खजूर न मिले तो पानी से रोज़ा खोल लो, क्योंकि वह (अन्दर व बाहर को) पाक करने वाला है। (तिर्मिज़ी)

रोज़ा जिस्म की ज़कात है

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फरमाया खातिमुल्-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। (इब्ने माजा)

सर्दी में रोज़ा

हज़रत आमिर बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फरमाया सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि सर्दी के मौसम में रोज़ा रखना मुफ्त का सवाब है। (तिर्मिज़ी)

मुफ्त का सवाब इसलिये फरमाया कि उसमें प्यास नहीं लगती और दिन भी छोटा होता है।

नापाकी की हालत रोज़े के खिलाफ नहीं

फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रमज़ान मुबारक में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नापाकी की हालत में सुवह हो जाती थी, और यह नापाकी एहतिलाम (स्वपनदोष) की नहीं (बल्कि बीवियों के साथ ताल्लुक कायम करने की वजह से होती थी) फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुस्त फरमाकर रोज़ा रखते थे।

(बुखारी व मुस्लिम)

मतलब यह है कि सुबह सादिक से पहले गुस्ल नहीं फरमाया और रोज़े की नीयत फरमा ली, फिर सूरज निकलने से पहले गुस्ल फरमाकर नमाज़ पढ़ ली। इस तरह से रोज़े का कुछ हिस्सा नापाकी की हालत में गुज़रा, इसलिये कि रोज़ा सुबह सादिक के बिल्कुल आरंभ से शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर रोज़े में एहतिलाम (सोने की हालत में नहाने की ज़रूरत) हो जाये तो भी रोज़ा फासिद नहीं होता क्योंकि नापाकी रोज़े के मुनाफ़ी (विपरीत और खिलाफ़) नहीं है।

रोज़े में मिस्वाक

फरमाया हज़रत आमिर बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मैंने रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रोज़े की हालत में इतनी बार मिस्वाक करते हुए देखा है कि जिसका मैं शुमार नहीं कर सकता। (तिर्मिज़ी)

मिस्वाक गीली हो या खुश्क रोज़े में हर वक्त कर सकते हैं, अलबत्ता मंजन, टूथपाउडर, टूथपेस्ट या कोयला वगैरह से रोज़े में दाँत साफ़ करना मकर्ख है।

रोज़े में सुर्मा

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरी आँख में तकलीफ है, क्या मैं सुर्मा लगा लूँ? फरमाया, लगा लो। (तिर्मिज़ी)

रमजान के आखिरी दशक में इबादत का

खास एहतिमाम किया जाये:

हदीस: (5) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि जब रमजान का आखिरी अश्रा (दशक) आता था तो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने तहबन्द को मज़बूत बांध लेते थे

और रात भर इबादत करते थे, और अपने घर वालों को (भी इबादत के लिये) जगाते थे। (मिश्कात शरीफ पेज 182)

तशरीह: एक हदीस में है कि महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के आखिरी दस दिनों के अन्दर जितनी मेहनत से इबादत करता थे, उसके अलावा दूसरे दिनों में उतनी मेहनत न करते थे। (मुस्लिम शरीफ)

हज़रत आयशा ने यह जो फरमाया कि रमज़ान के आखिरी दशक में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तहबन्द कस लेते थे, आलिमों ने इसके दो मतलब बताये हैं- एक यह कि खूब मेहनत और कोशिश से इबादत करते थे और रातों-रात जागते थे। यह ऐसा ही है जैसे उर्दू के मुहावरे में मेहनत का काम बताने के लिये बोला जाता है कि “खूब कमर कस लो”। और दूसरा मतलब तहबन्द कसकर बाँधने का यह बताया कि रात को बीवियों के पास लेटने से दूर रहते थे क्योंकि सारी रात इबादत में गुज़र जाती थी, और एतिकाफ भी होता था, इसलिये रमज़ान के आखिरी दशक में मियाँ-बीवी वाले खास ताल्लुक का मौका नहीं लगता था।

हदीस के आखिर में जो “अपने घर वालों को भी जगाते थे” फरमाया इसका मतलब यह है कि रमज़ान के आखिरी दशक में हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद भी बहुत मेहनत और कोशिश से इबादत करते थे और घर वालों को भी इस मक्सद के लिये जगाते थे, बात यह कि जिसे आखिरत का ख्याल हो, मौत के बाद के हालात का यकीन हो, अब्र व सवाब के लेने का लालच हो वह क्यों न मेहनत और कोशिश से इबादत में लगेगा। फिर जो अपने लिये पसन्द करे वही अपने घर वालों के लिये भी पसन्द करना चाहिये।

हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आम रातों में नमाज़ों

के अन्दर इतने खड़े होते थे कि कदम मुबारक सूज जाते थे, फिर रमज़ान के अन्दर और खुसूसन आखिरी दशक में तो और ज्यादा इबादत बढ़ा देते थे, क्योंकि यह महीना और खासकर आखिरी दस दिन आखिरत की कमाई का खास मौक़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम् की कोशिश होती थी कि घर वाले भी इबादत में लगे रहें, लिहाज़ा आखिरी दस दिनों की रातों में उनको भी जगाते थे। बहुत-से लोग खुद तो बहुत ज्यादा इबादत करते हैं लेकिन बाल बच्चों की तरफ से ग़ाफिल रहते हैं, घर के लोग फ़र्ज़ नमाज़ भी नहीं पढ़ते। अगर बाल बच्चों को हमेशा दीन पर डालने और इबादत में लगाने की कोशिश की जाती रहे और उनको हमेशा फ़राईज़ का पाबन्द रखा जाये तो रमज़ान में नफ़्लों के लिये उठाने और शबे-क़द्र में जगाने की भी हिम्मत हो। जब बाल बच्चों का ज़ेहन दीनी नहीं बनाया तो उनके सामने रात को जागकर इबादत करने की बात करते हुए डरते हैं। अल्लाह तआला हम सबको अपनी मुहब्बत अंता फ़रमाए और इबादत की लगन और ज़िक्र के ज़ौक़ से नवाज़े। आमीन।

शबे-क़द्र और उसकी दुआ

हदीस: (6) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! इरशाद फ़रमाइये कि अगर मुझे पता चल जाये कि फ़लाँ रात को शबे-क़द्र है तो मैं क्या दुआ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया यह दुआ करो:

अल्लाहुम्-म इन्न-क अफुव्वुन् तुहिब्बुल अफ्-व फ़अफु अन्नी

शबे-क़द्र की फ़ज़ीलत

रमज़ान मुबारक का पूरा महीना आखिरत की दौलत कमाने का है, फिर इस महीने में आखिरी दस दिन और भी ज्यादा मेहनत और

कोशिश से इबादत में लगने के हैं। इस दशक (आखिरी दस दिन) में शबे-कद्र होती है जो बड़ी बरकत वाली रात है। कुरआन मजीद में इरशाद फ़रमाया:

لِيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

तर्जुमा: शबे-कद्र हज़ार महीनों से बेहतर है।

हज़ार महीने के 83 साल और 4 महीने होते हैं, फिर शबे-कद्र को हज़ार महीनों के बराबर नहीं बताया बल्कि हज़ार महीनों से बेहतर बताया है। हज़ार महीने से शबे-कद्र किस कद्र बेहतर है इसका इल्म अल्लाह ही को है। मोमिन बन्दों के लिये शबे-कद्र बहुत ही ख़ैर व बरकत की चीज़ है। एक रात जागकर इबादत कर लें और हज़ार महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब पा लें, इससे बढ़कर और क्या चाहिये? इसी लिए तो हदीस शरीफ में फ़रमाया:

हदीس: जो शख्स शबे-कद्र से मेहरूम हो गया (गोया) पूरी भलाई से मेहरूम हो गया, और शबे-कद्र की ख़ैर से वही मेहरूम होता है जो पूरी ही तरह मेहरूम हो। (इब्ने माजा)

मतलब यह है कि चन्द घण्टे की रात होती है और उसमें इबादत कर लेने से हज़ार महीने से ज्यादा इबादत करने का सवाब मिलता है, चन्द घण्टे जागकर नफ़्स को समझा-भुझाकर इबादत कर लेना कोई ऐसी काविले ज़िक्र तकलीफ़ नहीं जो बरदाश्त से बाहर हो, तकलीफ़ ज़रा-सी और सवाब बहुत बड़ा। अगर कोई शख्स एक नया पैसा तिजारत में लगा दे और बीस करोड़ का नफ़ा पाये उसको कितनी खुशी होगी? और जिस शख्स को इतने बड़े नफ़े का मौक़ा मिला फिर उसने तवज्जोह न की उसके बारे में यह कहना बिल्कुल सही है कि वह पूरा और पक्का मेहरूम है।

पहली उम्मतों की उम्रें ज्यादा थीं, इस उम्मत की उम्र बहुत से बहुत 70, 80 साल होती है, अल्लाह पाक ने यह एहसान फ़रमाया कि इनको शबे-कद्र अता फ़रमा दी, और एक शबे-कद्र की इबादत का दरजा हज़ार महीनों की इबादत से ज्यादा कर दिया। मेहनत कम हुई, वक्त भी कम लगा और सवाब में बड़ी-बड़ी उम्र वाली उम्मतों से बढ़ गये। अल्लाह तआला का फ़ज़्ल व इनाम है कि इस उम्मत को सबसे ज्यादा नवाज़ा, अब देखो! बन्दों की कैसी नालायकी होगी कि अल्लाह की बहुत ज्यादा नवाज़िश और इनायत हो और गफ़लत में पड़े सोया करें। रमज़ान का कोई लम्हा ज़ाया न होने दो, खुसूसन आखिरी दस दिनों में इबादत का ख़ास एहतिमाम करो, और उसमें भी शबे-कद्र में जागने की बहुत ज्यादा फ़िक्र करो, बच्चों को भी इसका शौक़ दिलाओ।

दुआ

हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने जब पूछा कि या रसूलल्लाह! शबे-कद्र में क्या दुआ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह दुआ तालीम फ़रमा दी:

अल्लाहुम्-म इन-क अफुव्वुन् तुहिब्बुल् अफ्-व फ़अफु अन्नी तर्जुमा: ऐ अल्लाह! इसमें शक नहीं कि आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ करने को पसन्द फ़रमाते हैं, लिहाज़ा मुझे माफ़ फ़रमा दीजिये।

देखिये कैसी दुआ इरशाद फ़रमाई, न माल माँगने को बताया न ज़मीन न धन न दौलत, क्या माँगा जाये? माफ़ी! बात असल यह है कि आखिरत का मामला सबसे ज्यादा कठिन है। वहाँ अल्लाह के माफ़ फ़रमाने से काम चलेगा। अगर माफ़ी न हुई और खुदा न करे अज़ाब में गिरफ़्तार हुए तो दुनिया की हर नेमत और लज़्ज़त और माल व दौलत बेकार होगी, असल चीज़ माफ़ी और मग़फ़िरत ही है। एक

हदीस में इशाद है:

हदीस: जो शख्स शबे-क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से (इबादत के लिये) खड़ा रहा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। (बुखारी व मुस्लिम)

खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज़ में खड़ा रहे और इसी हुक्म में यह भी है कि तिलावत और ज़िक्र में मशगूल हो। और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि रियाकारी और दिखावे वगैरह किसी तरह की खराब नीयत से इबादत में मशगूल न हो, बल्कि इख्लास के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रिज़ा और सवाब की नीयत से इबादत में लगा रहे।

बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि सवाब की नीयत का मतलब यह है कि सवाब का यकीन करके दिल की खुशी से खड़ा हो, बोझ समझकर बद-दिली के साथ इबादत में न लगे, कि सवाब का यकीन और एतिकाद जिस क़द्र ज्यादा होगा उतना ही इबादत में मशक्कत का बरदाश्त करना आसान होगा। यही वजह है कि जो शख्स अल्लाह तआला की नज़दीकी में जिस क़द्र तरक्की करता जाता है इबादत में उसका लगना ज्यादा होता जाता है।

साथ ही यह भी मालूम हो जाना ज़रूरी है कि ऊपर वाली हदीस और इस जैसी दूसरी हदीसों में गुनाहों की माफी का ज़िक्र है। आलिम हज़रात इस बात पर एक-राय हैं कि “कबीरा गुनाह” (बड़े गुनाह) बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। पस जहाँ हदीसों में गुनाहों के माफ़ होने का ज़िक्र आता है वहाँ छोटे गुनाह मुराद होते हैं, और छोटे गुनाह ही इनसान से बहुत ज्यादा होते हैं। इबादत का सवाब भी और हज़ारों गुनाहों की माफी भी हो जाये किस क़द्र बड़ा नफ़ा है।

शबे-क़द्र की तारीखें

शबे-क़द्र के बारे में हडीसों में आया है कि रमज़ान के आखिरी दशक (आखिरी दस दिनों) की 'ताक' (यानी बेजोड़ जैसे 21 23 वगैरह) रातों में तलाश करो, लिहाज़ा रमज़ान की 21 वीं 23 वीं 25 वीं 27 वीं 29 वीं रात को जागने और इबादत करने की ख़ास पाबन्दी करें, ख़ासकर 27 वीं रात को तो ज़खर जागें, क्योंकि उस दिन शबे-क़द्र होने की ज़्यादा उम्मीद होती है।

हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन इसलिए बाहर तशरीफ लाये कि हमें शबे-क़द्र की इत्तिला फरमा दें, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था, आँ हज़रत पल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिये आया था कि तुम्हें शबे-क़द्र की इत्तिला दूँ मगर फ़लाँ-फ़लाँ शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उसका मुकर्रा वक्त मेरे ज़ेहन से उठा लिया गया। हो सकता है कि यह उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो। (बुख़ारी)

लड़ाई-झगड़े का असर

इस मुबारक हडीस से मालूम हुआ कि आपस का झगड़ा इस क़द्र बुरा अमल है कि इसकी वजह से अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल मुबारक से शबे-क़द्र का मुतैयन बक्त उठा लिया, यानी किस रात को शबे-क़द्र है मख़्सूस कराके उसका इल्म जो दे दिया गया था वह दिल से उठा लिया गया। अगरचे बाज़ कारणों से इसमें भी उम्मत का फ़ायदा हो गया, जैसा कि इन्शा-अल्लाह तआला हम अभी ज़िक्र करेंगे, लेकिन सबब आपस का झगड़ा बन गया, जिससे आपस में झगड़े की बुराई और निन्दा का पता चला।

शबे-कद्र को मुतैयन न करने में मस्लेहतें

दीन के आलिमों ने शबे-कद्र को पौशीदा रखने यानी मुकर्रर करके यूँ न बताने के बारे में कि फलाँ रात को शबे-कद्र है चन्द मस्लेहतें बतायी हैं:

पहली: यह कि अगर इसका मुतैयन वक्त बाकी रहता तो बहुत-से तबीयत के काहिल दूसरी रातों का एहतिमाम बिल्कुल छोड़ देते, और मौजूदा सूरत में इस उम्मीद और शुद्धे पर कि शायद आज ही शबे-कद्र हो अनेक रातों में इबादत की तौफीक नसीब हो जाती है।

दूसरी: यह कि बहुत-से लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह किए बगैर नहीं रहते, अगर यह मुतैयन हो जाती तो अगर बावजूद मालूम होने के गुनाहों की जुर्त की जाती तो यह बात सख्त खतरनाक थी।

तीसरी: यह कि शबे-कद्र मुतैयन होने की सूरत में अगर किसी शख्स से वह रात छूट जाती तो आईन्दा रातों में तबीयत के बुझ जाने की वजह से फिर किसी रात का जागना दिल की खुशी और तबीयत की ताज़गी के साथ नसीब न होता, और दिल की खुशी और तबीयत की ताज़गी के साथ रमज़ान की चन्द रातों की इबादत शबे-कद्र की तलाश में नसीब हो जाती हैं।

चौथी: यह कि जितनी रातें तलब में ख़र्च होती हैं उन सब का मुस्तकिल सवाब अलग मिलता है।

पाँचवीं: यह कि रमज़ान की इबादत में हक़ तआला जल्ल शानुहू फ़रिश्तों पर तफ़ाखुर (गर्व) फरमाते हैं, इस सूरत में गर्व का मौक़ा ज्यादा है कि बावजूद मालूम न होने के सिर्फ़ एहतिमाल, अन्देशे और उम्मीद पर रात-रात भर जागते हैं, और इबादत में मशगूल रहते हैं।

और इनके अलावा और भी मस्लेहतों हो सकती हैं। मुम्किन है झगड़े की वजह से खास रमज़ान मुबारक में इसका मुतैयन वक्त भुला दिया गया हो, और उसके बाद ज़िक्र हुई मस्लेहतों या दीगर मस्लेहतों की वजह से हमेशा के लिये इसका मुतैयन वक्त उठा लिया गया हो। अल्लाह तआला ही को असल इल्म है।

रमज़ान के आखिरी दस दिनों में एतिकाफ़

हदीस: (7) हज़रत आयशा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ارियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के आखिरी दशक में एतिकाफ़ फरमाते थे, वफात होने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मामूल रहा, आपके बाद आपकी बीवियाँ एतिकाफ़ करती थीं। (मिश्कात शरीफ पेज 183)

तशरीह: रमज़ान मुबारक की हर घड़ी और मिनट व सैकण्ड को गुनीमत जानना चाहिये। जितना मुम्किन हो इस महीने में नेक काम कर लो और सवाब लूट लो। फिर रमज़ान में भी आखिरी दस दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। रमज़ान के आखिरी दस दिन (जिनको अश्ऱा-ए-आखिरा कहा जाता है) उनमें एतिकाफ़ भी किया जाता है। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व سल्लम हर साल इन दिनों का एतिकाफ़ फरमाते थे और आपकी बीवियाँ भी एतिकाफ़ करती थीं। आपकी वफात के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व سल्लम की बीवियों ने एतिकाफ़ की पाबन्दी की, जैसा कि ऊपर हदीस में ज़िक्र हुआ। यह हम बार-बार लिख चुके हैं कि नुबुव्वत के ज़माने की औरतें नेकियाँ कमाने की धुन में पीछे न रहती थीं।

एतिकाफ़ में बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसमें इनसान यक़सू होकर अपने अल्लाह से लौ लगाये रहता है, और चूँकि रमज़ान की आखिरी

दस रातों में कोई न कोई रात शबे-कद्र भी होती है इसलिये एतिकाफ़ करने वाले को उमूमन वह भी नसीब हो जाती है।

मर्द ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करें जिसमें पाँचों वक्त जमाअत से नमाज़ होती हो, और औरतें अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ़ करें, अपने घर में जो जगह नमाज़ के लिये मुकर्रर कर रखी हो उनके लिये वही मस्जिद है, औरतें उसी में एतिकाफ़ करें।

रमज़ान की बीसवीं तारीख़ का सूरज छुपने से पहले एतिकाफ़ की जगह में दाखिल हो जायें और ईद का चाँद नज़र आने तक एतिकाफ़ की नीयत से औरतें घर की मस्जिद में और मर्द पंज-वक्ता नमाज़ वा जमाअत वाली मस्जिद में जमकर रहें, इसी को एतिकाफ़ कहते हैं। जमकर रहने का मतलब यह है कि ईद का चाँद नज़र आने तक मस्जिद ही की हद में रहे, वहीं सोये, वहीं खाये, कुरआन पढ़े, नफ़्लें पढ़े, तसवीहों में मशगूल रहे, जहाँ तक मुमकिन हो रातों को जागे और इबादत करे, खासकर जिन रातों में शबे-कद्र की उम्मीद हो उन रातों में रात को जागने की खास पाबन्दी करे।

मसला: एतिकाफ़ में मियाँ-बीबी के खास ताल्लुकात वाले काम जायज़ नहीं हैं, न रात में न दिन में, और पेशाब पाखाने के लिये एतिकाफ़ की जगह से निकलना दुरुस्त है।

मसला: यह जो मशहूर है कि जो एतिकाफ़ में हो वह किसी से न बोले-चाले यह ग़लत है, बल्कि एतिकाफ़ में बोलना-चालना अच्छी बातें करना, किसी को नेक बात बता देना और बुराई से रोक देना, बाल बच्चों और नौकरों व नौकरानियों को घर का काम-काज बता देना यह सब दुरुस्त है। और औरत के लिये इसमें आसानी भी है कि अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से बैठी रहे और वहीं से बैठे-बैठे घर का काम-काज बताती रहे।

मसला: अगर एतिकाफ में औरत को माहवारी शुरू हो जाये तो उसका एतिकाफ वही ख़त्म हो गया। रमजान के आखिरी दशक के एतिकाफ में अगर ऐसा हो जाये तो किसी आलिम से मसाइल मालूम करके कज़ा कर लें।

हुजूरे अब्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि एतिकाफ मोतकिफ (एतिकाफ करने वाले) को गुनाहों से रोकता है और उसके लिये (उन) सब नेकियों का सवाब (भी) जारी रहता है (जिन्हें एतिकाफ के सबब अन्जाम देने से मेहरूम रहता है)। (मिश्कात शरीफ)

फायदा: जिस दिन सुबह को ईद या बकर-ईद हो उस रात को भी ज़िक्र, इबादत और नफिल नमाज से ज़िन्दा रखने की फजीलत आयी है। हवीस शरीफ में है कि जिसने दोनों ईदों की रातों को इबादत के ज़रिये ज़िन्दा रखा, उस दिन उसका दिल मुर्दा न होगा जिस दिन दिल मुर्दा होंगे, (यानी कियामत के दिन)। (अत्तरगीब वत्तरहीब)

आखिरी रात की बरिशश

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि रमजान की आखिरी रात में उम्मते मुहम्मदिया की मग़फिरत कर दी जाती है। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह! क्या इससे शबे-कद्र मुराद है? फरमाया नहीं! (यह फजीलत आखिरी रात की है, शबे-कद्र की फजीलतें इसके अलावा हैं)। बात यह है कि अमल करने वाले का अर्ज उस वक्त पूरा दे दिया जाता है जब वह काम पूरा कर देता है (और आखिरी रात में अमल पूरा हो जाता है लिहाज़ा बरिशश हो जाती है)। (मिश्कात शरीफ)

ईद का दिन

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शवे-क़द्र होती है तो जिबराईल अलैहिस्सलाम-फ़रिश्तों की एक जमाअत के साथ उतरते हैं जो हर उस बन्दे के लिए खुदा तआला से रहमत की दुआ करते हैं जो खड़े बैठे अल्लाह तआला का ज़िक्र कर रहा हो। फिर जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों के सामने फ़खर से फरमाते हैं (कि देखो इन लोगों ने एक माह के रोज़े रखे और हुक्म माना) और फरमाते हैं कि ऐ मेरे फ़रिश्तो! उस मज़दूर का क्या बदला है जिसने अमल पूरा कर दिया हो? वे अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे रब! उसक बदला यह है कि उसका अन्न पूरा दे दिया जाये, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं ऐ मेरे फ़रिश्तो! मेरे बन्दों और बन्दियों ने मेरा फ़रीज़ा पूरा कर दिया जो उनपर लाज़िम था, और अब दुआ में गिड़गिड़ाने के लिए निकले हैं, कसम है मेरी इज्जत व जलाल की और करम की और मेरी किबरियाई और बुलन्दी की, मैं ज़खर उनकी दुआ कबूल करूँगा। फिर (बन्दों को) अल्लाह तआला का इरशाद होता है कि मैंने तुमको बख्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया, लिहाजा उसके बाद (ईदगाह से) बख्शो-बख्शाये वापस होते हैं। (बैहकी)

मसला: ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। आज के दिन रोज़ा न रखना इबादत है।

सदका-ए-फ़ित्र

ईद के दिन सदका-ए-फ़ित्र भी अदा करें, जो निसाब के बक़द्र माल का मालिक हो उसपर वाजिब है। हदीस शारीफ में है कि सदका-ए-फ़ित्र रोज़ों को बेकार और गन्दी वातों से पाक करने के लिए और मिस्कीनों की गेज़ी के लिए मुकर्रर किया गया है। (अबू दाऊद)

सदका-ए-फ़ित्र के मसाइल ज़कात के बयान में गुज़र चुके हैं।

किन लोगों को रमज़ान का रोज़ा छोड़कर बाद में रखने की इजाज़त है

हदीस: (8) हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुसाफिर के लिए नमाज़ का एक हिस्सा माफ़ फरमा दिया है और रमज़ान के रोज़े न रखने की भी मुसाफिर को इजाज़त दी है। और इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत और हमल वाली (गर्भवती) औरत को इजाज़त है कि रोज़ा न रखे। (और बाद में कज़ा कर ले)। (मिश्कात शरीफ पेज 178 जिल्द 1)

तशरीह: रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है और जो फर्ज़ रोज़ा छोड़ने का जुर्म करे वह फ़ासिक है।

बीमार: अलबत्ता जो शख्स ऐसा बीमार हो कि रोज़ा रखने से उसकी जान पर बन आने का प्रबल अन्देशा हो या जो सख्त बीमारी में मुब्तला हो और रोज़े रमज़ान में न रखे और उसके बाद जब अच्छा हो जाये कज़ा रख ले, यह कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आम तौर से लोग न जानते हों, लेकिन इसमें बहुत-सी ग़्लतियाँ होती हैं- पहली यह कि मामूली बीमारी में रोज़ा छोड़ देते हैं अगरचे उस बीमारी के लिए रोज़ा नुकसानदेह भी न हो। दूसरी यह कि फ़ासिक और बे-दीन बल्कि बढ़-दीन डाक्टरों के कौल का एतिवार कर लेते हैं। डाक्टर कह देते हैं कि रोज़ा न रखियेगा। उन डाक्टरों को रोज़ों की न कीमत मालूम है न शरई मसले की सही सूरत का इलम है। न खुद रोज़ा रखने की आदत है न उनके दिल में किसी मोमिन के रोज़े का दर्द है। ऐसे लोगों के कौल का कोई एतिवार नहीं है। चूँकि उमूमन डाक्टर आजकल फ़ासिक ही हैं इसलिए मरीज़ को अपनी ईमानी

समझ-बूझ से और किसी ऐसे डाक्टर से मशिवरा करके फैसला करना चाहिये जो खुदा का ख़ौफ रखता हो, और जो शरई मसले से बाक़िफ़ हो। तीसरी यह कोताही आम है कि बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं और फिर रखते ही नहीं, और बहुत बड़ी गुनाहगारी का बोझ लेकर कब्र में चले जाते हैं।

मुसाफिर: मुसाफिर जो कस्त की दूरी के इरादे से अपने शहर या बस्ती से निकला, जब तक सफर में रहेगा मर्द हो या औरत चार रकअतों वाली नमाज़ों की जगह दो रकअतें फ़र्ज पढ़ेगा। हाँ! अगर किसी ऐसे इमाम के पीछे जमाअत में शरीक हो जाये जो मुसाफिर न हो तो पूरी नमाज़ पढ़नी होगी। और अगर किसी जमाह पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत कर ली तो मुसाफिर के हुक्म में नहीं रहेगा और पूरी नमाज़ पढ़नी होगी। कस्त की दूरी 48 मील है, इतनी दूर का इरादा कस्तके रवाना हो जाने पर शरई मुसाफिर है जबकि अपने वतन से निकल जाये, इतनी दूर का मुसाफिर चाहे पैदल सफर करे चाहे बस से चाहे हवाई जहाज़ से या और किसी तेज़ रफ्तार सवारी से, शरई मुसाफिर माना जायेगा। शरीअत ने नमाज़े कस्त की बुनियाद कस्त की दूरी पर रखी है अगरचे तकलीफ़ न हो तब भी 48 मील का मुसाफिर चार रकअत वाले फ़र्ज की जगह दो रकअतें पढ़ेगा। अगर पूरी चार रकअतें पढ़ ले तो बुरा किया। यह मसला नमाज़े कस्त के बयान में भी गुज़र चुका है यहाँ रोज़े के बारे में सफर की दूरी बताने के अन्तर्गत दोहरा दिया गया है।

मसला: जिस मुसाफिर के लिए चार रकअत वाली फ़र्ज नमाज़ की जगह दो रकअत पढ़ना ज़रूरी है, उसके लिए यह भी जायज़ है कि रमज़ान शरीफ के मौके पर सफर में हो तो रोज़ा न रखे और बाद में घर आकर छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा कर ले। चाहे हवाई जहाज़ या

मोटर कार से सफर किया हो और चाहे कोई तकलीफ़ महसूस न होती हो। अगर किसी जगह पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत कर लेगा तो मुसाफिर न होगा, जैसा कि ऊपर बयान हुआ। यह बात काबिले ज़िक्र है कि बहुत-से लोग जिस तरह बीमारी की हालत में रोज़ा छूट जाने पर बाद में क़ज़ा नहीं रखते उसी तरह बहुत-से लोग सफर में रोज़े छोड़कर बाद में घर आकर क़ज़ा नहीं रखते और गुनाहगार मरते हैं। कुरआन मजीद में इरशाद है:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّهُ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

तर्जुमा: जो शख्स इस माह में मौजुद हो वह ज़खर इसमें रोज़ा रखे और जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों का शुमार रखना है। अल्लाह तआला को तुम्हारे साथ आसानी करना मन्ज़ूर है और तुम्हारे साथ दुश्वारी मन्ज़ूर नहीं।

इस आयत से मालूम हुआ कि बीमार और मुसाफिर से रोज़ा माफ़ नहीं है, अलबल्ता अल्लाह तआला ने उसको रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दे दी है लेकिन बाद में छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है। अपर ज्यादा तकलीफ़ न हो तो रमज़ान ही में रोज़ा रख लेना बेहतर और अफ़ज़ल है। कुरआन मजीद में इरशाद है:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ

यानी अगरचे बीमारी और सफर में बाद में रखने की नीयत से रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है लेकिन रमज़ान ही में रोज़ा रख लेना बेहतर है।

और वजह इसकी यह है कि अबल तो रमज़ान की बरकत और नूरानियत से मेहरूमी न होगी। दूसरे सब मुसलमानों के साथ मिलकर

रोज़ा रखने में आसानी भी होगी और बाद में तन्हा रोज़े रखना मुश्किल होगा।

मसला: 48 मील से कम सफर में रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं।

दूध पिलाने वाली: जिस तरह बीमार और मुसाफिर को रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है (जिसकी शर्तें ऊपर लिखी गयीं) उसी तरह दूध पिलाने वाली औरत के लिए भी जायज़ है कि रमज़ान में रोज़ा न रखे और बाद में क़ज़ा कर ले। अगर बच्चा माँ के दूध के अलावा दूसरी गिज़ा के ज़रिये गुज़ारा कर सकता हो, जैसे ऊपर का दूध पीने से या दलिया चावल वगैरह खाने से बच्चे की गिज़ा का काम चल सकता है तो दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा छोड़ना हराम है। और यह मसला भी बच्चे की उम्र दो साल होने तक है, जब बच्चे की उम्र दो साल हो जाए तो उसको औरत का दूध पिलाना ही मना है, उसमें रोज़ा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

मसला: दूध पिलाने वाली को ज़िक्र हुई शर्त के साथ रमज़ान का रोज़ा न रखना उस सूरत में जायज़ है जबकि बच्चे का बाप दूसरी औरत को मुआवज़ा देकर दूध पिलाने से आजिज़ हो या वह बच्चा माँ के अलावा किसी दूसरी औरत का दूध लेता ही न हो।

हामिला: जो औरत हमल (गर्भ) से हो उसको भी रमज़ान शरीफ में रोज़े छोड़ने की इजाज़त है, फ़ारिग़ होने के बाद छोड़े हुए रोज़े रख ले, मगर शर्त वही है कि रोज़े रखने से बहुत ज्यादा तकलीफ़ में पड़ने या अपने बच्चे की जान का अन्देशा हो।

फ़िदये का हुक्म

वह औरत या मर्द जो मुस्तकिल ऐसा बीमार हो कि रोज़ा रखने से जान पर बन आने का सख्त ख़तरा हो और ज़िन्दगी में अच्छा होने

की उम्मीद ही न हो, या वह मर्द व औरत जो बहुत ज्यादा बूढ़ा है रोज़े रख ही नहीं सकता, और रोज़े पर क़ादिर होने की कोई उम्मीद नहीं, ये लोग रोज़े के बजाए फ़िदया दें, लेकिन बाद में कभी रोज़े रखने के क़ाबिल होंगे तो गुज़रे हुए रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी और आईन्दा रोज़े रखने होंगे, और जो फ़िदया दिया है वह सदके में शुमार होगा।

मसला: हर रोज़े का फ़िदया यह है कि एक किलो 633 ग्राम गेहूँ या उसकी क़ीमत किसी मिस्कीन को दे, या हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को सुबह-शाम पेट भरकर खाना खिला दे।

माहवारी वाली औरत न रोज़ा रखे न नमाज़ पढ़े

लेकिन बाद में रोज़ों की क़ज़ा करे

हदीस: (9) हज़रत मुआज़ा फ़रमाती हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि यह क्या बात है कि (रमज़ान के महीने में) किसी औरत को हैज़ (माहवारी) आ जाये तो (उन दिनों के) रोज़ों की क़ज़ा रखती है और (उमूमन हर महीने हैज़ आता रहता है रमज़ान हो या गैर-रमज़ान उन दिनों की) नमाज़ों की क़ज़ा नहीं पढ़ती (यह नमाज़ और रोज़े में फ़र्क़ क्यों है)। यह सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया क्या तू नैचरी हो गयी है? (जो शरीअत के अहकाम में टाँग अड़ाती है)। मैंने कहा मैं नैचरी नहीं हूँ सिर्फ़ मालूम कर रही हूँ। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि हम तो इतनी बात जानते हैं कि हुज़रे अक्दस सल्लल्लाहु अलौहि व सल्लम की मौजूदगी में हमको हैज़ (माहवारी) आता था तो नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म न दिया जाता था और रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म होता था। (मुस्लिम शरीफ़ पेज 153 जिल्द 1)

तशरीहः हज़रत मुआज़ा एक ताबिअ़ी औरत थीं, बड़ी आलिमा फ़ाजिला थीं। हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की ख़ास शार्गिदी का शर्फ़ हासिल है। उन्होंने हज़रत आयशा से ऊपर ज़िक्र शुदा सवाल किया तो उन्होंने उनसे पूछा “क्या तू हस्तरिय्यह हो गयी है?” हस्तर एक गाँव था वहाँ ख़ारजियों का जमावड़ा था। ये लोग दीन और शरीअत को अपनी अ़क्ल के मेयार से ज़ौचने की कोशिश करते थे और अपनी समझ की तराज़ू में तौलते थे। इसी लिये हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने हज़रत मुआज़ा से फ़रमाया कि तू दीन में अपनी अ़क्ल का दख़ल दे रही है। यह तो उन लोगों का तरीका है जो हस्तर बस्ती में रहते हैं, इसी लिये हमने इस लफ़ज़ का तर्जुमा लफ़ज़ “नैचरी” से कर दिया है। बहुत-से लोग दीन को अपनी अ़क्ल की कसौटी पर परखना चाहते हैं और समझ में नहीं आता तो इनकारी होते हैं या एतिराज़ करते हैं। ऐसे लोग हमारे बुजुर्गों की ज़बान में नैचरी कहलाते हैं क्योंकि अपने नैचर की पंचर दीन में लगाने की नापाक कोशिश करते हैं। दर हक़ीक़त यह एक बहुत बड़ा रोग है जो दिल में हकीकी ईमान को जमने और मज़बूत होने नहीं देता।

शरीअत के अहकाम को हिक्मत और वजह

मालूम किये बगैर मानना लाज़िम है

अहकाम की हिक्मतें मालूम करने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन हिक्मत समझ में न आये तो हुक्म ही को न माने और उसके खिलाफ़ रिसाले लिखने लगे और मज़ामीन छापने लगे, यह बहुत बड़ी जहालत है। शरीअत के किसी हुक्म की हिक्मत मालूम हो गयी तो बहुत अच्छी बात है और मालूम न हो सके या समझ में न आये तो उसको उसी तरह सच्चे दिल से मानना ज़रूरी है जैसा कि हिक्मत समझ में आने

पर मानते। और यह बात भी जान लेना चाहिए कि किसी मसले की अगर कोई हिक्मत समझ में आ जाये तो उसको यूँ न समझे कि इसकी वाकई और असली यही हिक्मत है, मुमकिन है कि अल्लाह तआला के नज़दीक दूसरी कोई हिक्मत हो।

जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी शार्गिद मुआज़ा को तंबीह की और धमकाया तो उन्होंने जवाब दिया मैं नेचरी नहीं हूँ यानी दीन में टाँग अड़ाना मेरा मक़सद नहीं अलबत्ता हिक्मत मालूम करने को जी चहाता है, इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हिक्मत न बताई बल्कि एक मोमिनाना मज़बूत जवाब दिया कि अमल करने के लिये बस इतना काफ़ी है कि हुँजूरे अद्वदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हम लोगों को हैज़ आता था तो नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था और रमज़ान में हैज़ आ जाता था तो उन दिनों के रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था। दर हकीकत एक मोमिन बन्दे के लिये यह जवाब बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि जिन्दगी का मक़सद अल्लाह के हुक्म का पालन है न कि वजह, सबब और हिक्मत की तलाश। इसलिये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस पर बस किया। अलबत्ता दीन इस्लाम के आलिमों ने इसमें एक हिक्मत यह बताई है कि नमाज़ें रोज़ाना की पाँच की तयादाद में जमा होकर बहुत ज्यादा हो जाती हैं, औरत को घरेलू काम-काज और बच्चों की परवरिश के मशग़ूलों की वजह से इन सब की क़ज़ा पढ़ना सख्त मुश्किल है इसलिये अल्लाह तआला ने यह करम फ़रमाया कि हैज़ (माहवारी) के ज़माने की नमाज़ों को बिल्कुल ही माफ़ फ़रमा दिया, और रोज़े चूँकि बारह महीनों में सिर्फ़ एक बार आते हैं और हैज़ की वजह से जो रोज़े छूटते हैं वे ज्यादा होते भी नहीं उनकी क़ज़ा रख लेना

आसान है इसलिये उनकी क़ज़ा का हुक्म दिया गया है। और यह बात तो सब को मालूम है कि औरतें उम्रमन रोज़े रखने में माहिर होती हैं और नमाज़ों से जान चुराती हैं। अगर माहवारी के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा लाज़िम कर दी जाती तो क़ज़ा न पढ़ती और गुनाहगार रहतीं और अदा करना भी मुश्किल था।

कुरबान जाइये उस जात के जिसने इनसान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा का मुकल्लफ़ नहीं बनाया।

नफ़्ली रोज़ों का सवाब और औरत को शौहर की इजाज़त के बगैर नफ़्ली रोज़े न रखने का हुक्म:

हदीसः (10) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि औरत के लिये यह हलाल नहीं कि (नफ़िल) रोज़ा रखे जबकि उसका शौहर घर पर हो, हाँ! उसकी इजाज़त से रख सकती है। और औरत के लिये यह जायज़ नहीं है कि किसी को घर में आने की इजाज़त दे हाँ! अगर शौहर किसी के बारे में इजाज़त दे तो औरत भी इजाज़त दे सकती है। (क्योंकि मुसलमान शौहर जिसके आने की इजाज़त देगा वह औरत का मोहसिन होगा)। (मुस्लिम शरीफ़)

तशरीहः दीन इस्लाम कामिल और मुकम्मल दीन है, इसमें दोनों तरह के हुकूक यानी अल्लाह के हुकूक और बन्दों के हुकूक की रियायत रखी गयी है। जिस तरह अल्लाह के हुकूक की अदायगी इबादत है उसी तरह बन्दों के हुकूक का अदा करना भी इबादत है। इस हदीस पाक में बन्दों के हुकूक की हिफाज़त करने और ख्याल रखने की हिदायत फ़रमायी गयी है। शौहर और बीवी के एक-दूसरे पर हुकूक हैं और आपस में एक ऐसा ताल्लुक है जो रोज़े में नहीं होता।

अगर कोई औरत रोज़े पर रोज़े रखती चली जाये और शौहर के ख़ास ताल्लुक का ख्याल न रखे तो गुनाहगार होगी। शौहर को खुश रखना और उसके हुकूक का ध्यान रखना भी इबादत है। बाज़ी औरतों को देखा गया है कि वे रोज़ा रखती चली जाती हैं और रोज़ाना रोज़ा रखने की आदत डाल लेती हैं। दिन में रोज़ा रात को थककर पड़ गयीं, शौहर बेचारे का कोई ध्यान नहीं। यह तरीका शरीअत की निगाह में दुरुस्त नहीं है।

औरतों के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तंबीह फ़रमाई कि किसी औरत के लिये यह हलाल नहीं है कि शौहर घर पर मौजूद हो तो उसकी इजाज़त के बगैर नफ़्ली रोज़ा रखे। शौहर अगर इजाज़त दे तो नफ़्ली रोज़ा रखे। अलबत्ता रोज़ाना रोज़ा रखना फिर भी मना है।

रोज़ाना रोज़ा रखने की मनाही

नबी पाक सल्ल० ने फ़रमाया कि जिसने रोज़ाना रोज़ा रखा उसने न रोज़ा रखा न बेरोज़ा रहा। (मुस्लिम शरीफ)

मतलब यह है कि रोज़ाना रोज़ा रखने से नफ़स को आदत हो जाती है, आदत हो जाने से मशक्कत नहीं होती। जब मशक्कत न हुई तो रोज़े का मक़सद ख़त्म हो गया। अब यूँ कहा जायेगा कि खाने-पीने के वक्तों को बदल दिया। इस सूरत में इबादत की शान बाकी न रहेगी। अगर किसी से हो सके तो एक दिन रोज़ा रखे एक दिन बेरोज़ा रहे, यह बहुत फ़ज़ीलत की बात है लेकिन शर्त वही है कि शौहर की इजाज़त हो और इस कद्र बे-ताक़त न हो जाये कि दूसरी इबादतों और हुकूक की अदायगी में फ़र्क आये।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े

दरजे के सहाबी थे, यह रोजाना रोज़ा रखते थे और रातों-रात नफिल पढ़ते थे। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम हुआ तो आपने फ़रमाया कि ऐसा न करो बल्कि रोज़ा भी रखो और बेरोज़ा भी रहा करो। रातों में नफिल नमाज़ में भी खड़े रहा करो और सोया भी करो क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी ऊँख का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है और जो लोग तुम्हारे पास आयें उनका भी तुम पर हक़ है।

(बुखारी व मुस्लिम)

इससे मालूम हुआ कि इबादत का कमाल यह है कि अपने बदन और जिस्मानी अंगों और बीवी-बच्चों और मेहमानों के हुकूक की रियायत करते हुए नफिल इबादत की जाये। मेहमान आया उसे नौकर चाकर के जुरिये खाना खिलवाया या सोने लगे तो वह अकेला सो गया और घर का मालिक नमाज़ में लग गया, वह बेचारा इन्तिज़ार ही करता रहा कि दो बातें कब करूँ? यह कोई सही इबादत नहीं, अलबत्ता नफ़स की शारारत को भी मौक़ा नहीं देना चाहिये। यानी मौक़ा होते हुए नफ़स बहाने न निकाल ले कि आज मेहमान है कैसे नमाज पढ़ूँ और दो रक़अत पढ़ लूँगी तो बूढ़ी हो जाऊँगी। और अगर एक नफिल रोज़ा रख लिया तो कमज़ोरी के पहाड़ टूट पड़ेंगे। खुलासा यह कि शरीअत की हदों में नफ़स व शैतान के क़रीब से बचते हुए नफिल नमाजें पढ़ो और नफिल रोज़े रखो, कुरआन की तिलावत भी करो और जिक्र भी करो और किसी मख्लूक का वाजिब हक़ भी ज़ाया न होने दो।

फ़र्ज़ रोज़ों के अदा करने और कज़ा में शौहर की

इजाज़त की ज़रूरत नहीं

तंबीहः फ़र्ज़ नमाज़ और फ़र्ज़ रोज़े की अदायगी में शौहर की

इजाज़त की हरगिज़ ज़खरत नहीं है, वह इजाज़त न दे तब भी उनकी अदायगी फर्ज़ है। अगर वह इससे रोकेगा तो सख्त गुनाहगार होगा। इसी तरह रमज़ान के जो रोज़े माहवारी की मजबूरी की वजह से रह जायें तो उनकी कज़ा रखना भी फर्ज़ है। अगर शौहर रोके तब भी कज़ा रख ले। अगर वह रोकेगा तो सख्त गुनाहगार होगा।

पीर और जुमेरात और चाँद की 13, 14, 15 तारीख के रोज़े

रमज़ान शरीफ के रोज़ों के अलावा दूसरे महीनों में भी रोज़े रखना चाहिये। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है और इसका बहुत बड़ा सवाब है। ईद के महीने के ४: (6) रोज़ों का ज़िक्र अगली हदीस की तशरीह (व्याख्या) में आ रहा है। पीर और जुमेरात को नफ्ली रोज़े रखने की भी फज़ीलत आयी है। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किये जाते हैं लिहाज़ा मैं आहता हूँ कि मेरा अमल इस हाल में पेश किया जाये कि मैं रोज़े से हूँ। (तिर्मिज़ी शरीफ)

चाँद की तेरह, चौदह, पन्द्रह तारीख को रोज़ा रखने की भी बड़ाई आई है। आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन दिनों के रोज़े रखने की रग्बत दिलाई है।

बक़र-ईद की नवीं तारीख का रोज़ा

हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से पुछता उम्मीद रखता हूँ कि बक़र-ईद की नवीं तारीख का रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह तआला एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा फरमा देंगे।

आशूरा का रोज़ा

और आशूरा के दिन (यानी मोहर्रम की दस तारीख) के बारे में

अल्लाह से पुख्ता उम्मीद रखता हूँ कि उसके रखने की वजह से एक साल पहले के गुनाहों का कफ़्फ़ारा फ़रमा देंगे। (मिश्कात शरीफ़)

बकर-ईद की नवीं तारीख से पहले जो आठ दिन हैं उनका रोज़ा रखने की भी फ़ज़ीलत और बड़ाई आयी है। उन रोज़ों के अलावा और जिस कद्र नफ़िल रोज़े कोई शख़स मर्द या औरत रख लेगा उसके हक में अच्छा होगा। कियामत के दिन नवाफ़िल के ज़रिये फ़राईज़ की कमी पूरी की जायेगी इसलिये इस इबादत से ग़ाफ़िल न हों, लेकिन दो बातें याद रखनी चाहियें- पहली यह कि उस इबादत की वजह से किसी की हक-तल्फ़ी न हो जैसे मर्द ज्यादा नफ़्ली रोज़े रखकर इस कद्र कमज़ोर न हो जाये कि बीवी बच्चों को कमाकर न दे सके। और दूसरी यह कि दूसरे हुकूक में कोताही होने लगे, जैसे कोई औरत रोज़े रखने की वजह से शौहर और बच्चों के हुकूक ज़ाया न कर दे।

ईद के महीने में छह रोज़े रखने की फ़ज़ीलत

हदीसः (11) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद छह (नफ़िल) रोज़े शब्वाल (यानी ईद) के महीने में रख लिये तो (पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब होगा। अगर हमेशा ऐसा ही करेगा तो) गोया उसने सारी उम्र रोज़े रखे। (मुस्लिम शरीफ़)

तशरीहः इस मुबारक हदीस में रमज़ान मुबारक गुज़रने के बाद शब्वाल के महीने में छह नफ़्ली रोज़े रखने की तरगीब दी गयी है और इसका बड़ा सवाब बताया गया है। सवाब देने के बारे में अल्लाह पाक ने यह मेहरबानी फ़रमायी है कि हर अमल का सवाब कम-से-कम दस गुना मुकर्रर फ़रमाया है। जब किसी ने रमज़ान के तीस रोज़े रखे और

फिर छह रोज़े और रख लिये तो यह छत्तीस रोज़े हो गये। छत्तीस को दस में गुणा करने से तीन सौ साठ हो जाते हैं। चाँद के हिसाब से एक साल तीन सौ साठ दिन का होता है लिहाज़ा छत्तीस रोज़े रखने पर अल्लाह तआला के नज़दीक तीन सौ साठ रोज़े शुमार होंगे और इस तरह पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। अगर हर साल कोई शख्स ऐसा ही कर लिया करे तो वह सवाब के एतिबार से सारी उप्र रोज़े रखने वाला मान लिया जायेगा। अल्लाहु अकबर! बेइन्तिहा रहमत और आखिरत की कमाई के अल्लाह पाक ने कैसे कीमती मौके दिये हैं।

फ़ायदा: अगर रमज़ान के रोज़े चाँद की वजह से उन्तीस ही रह जायें तब भी ये तीस ही शुमार होंगे क्योंकि हर मुसल्मान की नीयत होती है कि चाँद नज़र न आये तो तीसवाँ रोज़ा भी रखेगा। इस एतिबार से उन्तीस रोज़े रमज़ान के और छह ईद के कुल पैंतीस रोज़े रखने से पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर्फ़ रमज़ान और छह शब्वाल के रोज़े रखने पर इस सवाब की खुशखबरी सुनाई। लिहाज़ा हमें यह सवाल करने की ज़रूरत नहीं कि एक रोज़ा चाँद की वजह से रह गया तो सवाब पूरे साल का होगा या नहीं।

फ़ायदा: बाज़ी औरतें समझती हैं कि यह सवाब उसी वक्त मिलेगा जबकि ईद के बाद दूसरे दिन कम-से-कम एक रोज़ा रख ले, यह ग़लत है। अगर दूसरी तारिख से रोज़े शुरू न किये और पूरे शब्वाल में छह रोज़े रख लिये तब भी सवाब मिल जायेगा।

नफ़्ली रोज़ा रखकर तोड़ देने से उसकी कज़ा लाज़िम होती है

हदीस: (12) हज़रत इब्ने शिहाब ज़ोहरी (ताबिई) ने बयान

फ़रमाया कि एक बार हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दो बीवियों यानी हज़रत आयशा और हज़रत हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नफ़्ली रोज़ा रख लिया और उसी हाल में सुबह हो गयी। उसके बाद उनकी खिदमत में बतौर हदिया खाना पेश कर दिया गया जिसे उन्होंने खा लिया और रोज़ा तोड़ दिया। उसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ लाये। हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि हमने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मसला मालूम करने का इरादा किया और हफ़सा बात करने में मुझसे आगे बढ़ गयी और वह अपने बाप की बेटी थी (1) और अर्ज किया या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मैंने और आयशा ने नफ़्ली रोज़ा रख लिया था, इस हाल में सुबह हुई कि हम दोनों रोज़ेदार थीं, हमारे लिये खाने का हदिया पेश किया गया हमने वह खा लिया और रोज़ा तोड़ लिया (तो अब हम क्या करें)। इसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि इस रोज़े की जगह एक रोज़ा रख लेना। (मोवत्ता इमाम मालिक)

तशरीह: नफ़िल नमाज़ हो या रोज़ा उसकी अदायगी बन्दे के ज़िम्मे लाज़िम नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स नफ़िल नमाज़ शुरू करके तोड़ दे या नफ़्ली रोज़ा रखकर सूरज छुपने से पहले जान-बूझकर कुछ खा पी ले या ऐसा कोई अमल कर ले जिससे रोज़ा टूट जाता है तो फिर उस नमाज़ और रोज़े की क़ज़ा लाज़िम हो जाती है, और वजह इसकी यह है कि जब तक नफ़िल नमाज़ या नफ़्ली रोज़ा शुरू न किया था उस वक्त तक वह नफ़िल था और जब शुरू

(1) इसका मतलब यह है कि हफ़सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वात करने और सवाल जवाब करने में जुर्त रखते थे, यही हाल उनकी बेटी का था, इसी लिये उन्होंने सवाल करने की पहल कर ली।

कर दिया तो उसका पूरा करना वाजिब हो गया, क्योंकि शुरू कर लेने से नेक काम की शुरूआत हो जाती है और दरमियान में छोड़ देने से वह अमल ख़त्म हो जाता है। शुरू करने के बाद पूरा करने से पहले छोड़ देना पसन्दीदा नहीं है। कुरआन मजीद में इशाद है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاتِّبِعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا

أَعْمَالَكُمْ

तर्जुमा: ऐ ईमान वालो! फ़रमाँबरदारी करो अल्लाह की और बात मानो उसके रसूल की, और अपने आमाल ज़ाया न करो।

ऊपर जो हदीस ज़िक्र हुई उससे यह कानून मालूम हो गया कि नफ़िल की शुरूआत करने से वह लाज़िम हो जाता है। नमाज़ रोज़े के अलावा अगर कोई मर्द या औरत उमरे का या नफ़्ली हज का एहराम बाँध ले तो उसको भी बीच में ख़त्म कर देना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने ऐसी हरकत कर ली जिससे उमरा और हज फ़ासिद हो जाता है तो हज़ और उमरे की क़ज़ा लाज़िम हो गयी, और हज आईन्दा साल ही हो सकेगा, अलबत्ता उमरा पूरे साल में हो सकता है। सिर्फ़ हज के पाँच दिनों में उमरा करने की मनाही है।

मसला: नफ़िल नमाज़ की हर दो रक़अत अलग नमाज़ शुमार होती है। अगर चार रक़अत की नीयत बाँधकर नमाज़ शुरू की तो जब तक तीसरी रक़अत शुरू न कर दे दो रक़अत का पूरा करना वाजिब होगा। लिहाज़ा अगर किसी ने चार रक़अत नफ़िल की नीयत की, फिर दो रक़अत पढ़कर सलाम फैर दिया तो कोई गुनाह नहीं।

मसला: अगर किसी ने चार रक़अत नफ़िल की नीयत बाँधी और अभी दो रक़अतें पूरी न हुई थीं कि नमाज़ तोड़ दी तो सिर्फ़ दो रक़अत की क़ज़ा पढ़े।

मसला: अगर चार रकअत की नीयत बाँधी और दो रकअतें पढ़ लीं फिर तीसरी या चौथी रकअत में नमाज़ तोड़ दी तो अगर दूसरी रकअत पर बैठकर उसने अत्तहिय्यात बगैरह पढ़ी है तो फक्त दो रकअत की क़ज़ा पढ़े, और अगर दूसरी रकअत पर नहीं बैठी अत्तहिय्यात पढ़े बगैर भूले से खड़ी हो गयी या जान-बूझकर खड़ी हो गयी तो पूरी चार रकअतों की क़ज़ा पढ़े।

मसला: ज़ोहर की चार रकअत सुन्नत की नीयत अगर टूट जाये तो पूरी चार रकअतें फिर से पढ़े, चाहे दो रकअत पर बैठकर अत्तहिय्यात पढ़ी हो या न पढ़ी हो।

मसला: अगर किसी औरत ने नफ़िल नमाज़ शुरू की फिर उसको नमाज़ के अन्दर वह मजबूरी शुरू हो गयी जो औरत को हर महीने पेश आती है तो नमाज़ तोड़ दे और बाद में उस नमाज़ की क़ज़ा पढ़े। इसी तरह अगर किसी औरत ने नफ़्ली रोज़ा रख लिया और कुछ वक्त गुज़रने के बाद हर महीने वाली मजबूरी पेश आ गयी तो रोज़ा ख़त्म हो गया, पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा करे।

मसला: नफ़िल नमाज़ रोज़ा शुरू करके खुद से तोड़ देना जायज़ नहीं है अगरचे इस नीयत से हो कि बाद में क़ज़ा कर लेंगे। हाँ! अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आ गया और वह अड़ गया कि जब तक मकान मालिक साथ न खाये मैं न खाऊँगा तो उसकी दिलदारी के लिये रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा रखना लाज़िम है।

अगर रोज़ेदार के पास कोई खाने लगे तो रोज़ेदार के लिये

फ़रिश्ते दुआ करते हैं:

हदीस: (13) हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने बयान

फरमाया कि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास तशरीफ लाये। मैंने आपके लिये खाना मंगाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि तुम (भी) खाओ! मैंने अर्ज किया मैं रोज़े से हूँ। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि बेशक जब रोज़ेदार के पास खाया जाये तो उसके लिये फरिश्ते मण्फ़िरत की दुआ करते रहते हैं, जब तक कि खाने वाले फ़ारिग हों।

(मिश्कात शरीफ)

तशरीह: रोज़ा खुद सब्र का नाम है। इनसान जब रोज़े की नीयत कर लेता है तो यह तय कर लेता है कि सूरज छुपने तक कोई चीज़ नहीं खाऊँगा। फिर जब रोज़ेदार के सामने कोई शख्स खाने लगे तो रोज़ेदार के सब्र की और ज्यादा फ़ज़ीलत बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे को खाता देखकर जो नफ़स में खुसूसी तकाज़ा पैदा होता है वह उसको दबाता है और रोज़ा पूरा किये बगैर कुछ नहीं खाता-पीता, उसके इस खुसूसी सब्र की वजह से यह खुसूसी फ़ज़ीलत दी गयी कि खाने वाला जब तक उसके पास खाये उसके लिये फरिश्ते बख्शाश की दुआ करते रहते हैं।

फायदा: हज़रत उम्मे अम्मारा (अम्मारा की वालिदा) रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी फ़ज़ीलतों वाली सहाविया हैं जिनसे ऊपर वाली हडीस की रिवायत की गयी है। उन्होंने जिहादों में भी शिरकत की। अपने शौहर जैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उहुद की लड़ाई में शरीक हुईं, फिर बैअते-रिज़वान में शरीक हुईं। फिर यमामा की जंग में शिरकत की और दुश्मनों से ऐसी लड़ाई लड़ी कि खुद उनके अपने जिस्म में बारह जगह ज़ख्म आ गये। बहुत-से लोगों ने उनसे हडीस की रिवायत की है। रज़ियल्लाह तआला अन्हा

शाबान के महीने के रोज़े और दूसरे आमाल

शाबान के महीने में रोज़ों की कसरत

हदीसः (14) हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लगातार (नफ़्ली) रोज़े रखते चले जाते थे यहाँ तक कि हमें ख्याल होने लगता था कि अब आप बे-रोज़ा नहीं रहेंगे। और जब रोज़े रखना छोड़ते तो इतने दिन छोड़ते चले जाते थे कि हमें ख्याल गुज़रने लगता था कि अब आप नफ़्ली रोज़े नहीं रखेंगे। और फ़रमाती हैं कि मैंने नहीं देखा कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों सिवाय रमज़ान के महीने के, और मैंने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नहीं देखा कि शाबान के महीने से ज्यादा किसी दूसरे महीने में (नफ़्ली) रोज़े रखे हों। और एक रिवायत में है कि आप चन्द दिनों के अलावा पूरे शाबान महीने के रोज़े रखते थे। (मिश्कात शरीफ)

शबे बरात में रहमत व मग़फिरत की बारिश

और ख़ास-ख़ास गुनाहगारों की बख्शाश न होना

हदीसः (15) हज़रत मुआज़ बिन जबल रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला शाबान की पन्द्रहवीं रात को अपनी तमाम मख़्लूक़ की तरफ़ मुतवज्जह होते हैं और पूरी मख़्लूक़ की मग़फिरत फ़रमाते हैं लेकिन मुश्किल और कीना-कपट रखने वाला नहीं बख्शा जाता। (तिबरानी व इन्ने हब्बान) बैहकी की रिवायत में यह भी है कि रिश्ता तोड़ने वाले और तहबन्द या पाजामा टख्नों से नीचे लटकाने वाले और शराब की आदत रखने वाले और किसी का नाहक क़त्ल करने वाले

की (भी) इस रात में मग़फिरत नहीं होती।

(अत्तरगीब वत्तरहीब पेज 80 जिल्द 2)

हदीसः (16) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि एक बार रात को (सोते-सोते मेरी आँख खुली तो) हुज़रे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को घर में न पाया (आपकी तलाश करने के लिये निकली तो) आप बक़ीअ़ यानी मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया क्या तुझे इस बात का खतरा गुज़रा कि अल्लाह और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे यानी रसूलुल्लाह तेरी बारी की रात होते हुए किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गये होंगे। मैंने अर्ज़ किया हाँ! मुझे तो यही ख्याल गुज़रा कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गये। आपने फ़रमाया (मैं किसी के पास नहीं गया, यहाँ बक़ीअ़ आया हूँ, यह दुआ करने की रात है क्योंकि) बेशक अल्लाह जल्ल शानुहू शाबान के महीने की पन्द्रहवीं तारीख की रात को करीब वाले आसमान की तरफ खुसूसी तवज्जोह फ़रमाते हैं और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा तायदाद में लोगों की मग़फिरत फ़रमाते हैं।

(मिश्कात शरीफ पेज 115)

शबे बरात में आईन्दा साल के फैसले

हदीसः (17) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि तुम जानती हो इस रात में यानी माह शाबान की पन्द्रहवीं रात में क्या होता है? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! इरशाद फ़रमाइये क्या होता है। फ़रमाया इस रात में हर ऐसे बच्चे का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में पैदा होने वाला है, और हर उस शख्स का नाम

लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में मरने वाला है। (अल्लाह को तो सब पता है अलबत्ता इन्तिज़ाम में लगने वाले फ़रिश्तों को इस रात में उन लोगों की फ़ेहरिस्त दे दी जाती है) और इस रात में नेक आमाल ऊपर उठाये जाते हैं (यानी मक़बूलियत के दरजे में ले लिये जाते हैं) और इस रात में लोगों के रिज्क नाज़िल होते हैं।

हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! यही बात है ना कि जन्नत में कोई भी दाखिल न होगा मगर अल्लाह तआला की रहमत से, आपने तीन बार फ़रमाया हाँ! कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह तआला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाये। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! और आप (भी) अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में न जायेंगे? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सर पर हाथ रख लिया और फ़रमाया कि मैं भी जन्नत में न जाऊँगा मगर इस तरह से कि अल्लाह तआला मुझे अपनी रहमत में ढाँप ले। तीन बार यही फ़रमाया।

(मिश्कात, शरीफ पेज 115)

रात को दुआ और इबादत और दिन को रोज़ा

हदीस: (18) हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब शाबान की पन्द्रहवीं रात हो तो उस रात को नमाज़ में खड़े हो और रात गुज़ारने के बाद सुबह को नफ़्ली रोज़ा रखो, इसलिये कि अल्लाह तआला इस रात में सूरज छुपने के वक्त ही से क़रीब वाले आसमान की तरफ खुसूसी तवज्जोह फ़रमाते हैं, और फ़रमाते हैं कि क्या कोई मग़फिरत तलब करने वाला है जिसकी मैं मग़फिरत करूँ, क्या कोई रिज्क तलब करने वाला है जिसको मैं रिज्क दूँ। क्या कोई मुसीबत का

मारा है जिसे मैं चैन-सुकून दूँ। और इसी तरह फ़रमाते रहते हैं कि क्या कोई फलाँ चीज़ माँगता है, क्या कोई फलाँ चीज़ माँगता है, सुबह सादिक होने तक ऐसा ही फ़रमाते रहते हैं।

(मिश्कात शरीफ पेज 115)

रिवायतों का खुलासा और शबे बरात के आमाल

इन दो रिवायतों से यह बात नालूम हुई कि:

(1) शाबान के महीने में हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दूसरे महीनों के मुकाबले में नफ़्ली रोज़े ज्यादा रखा करते थे बल्कि दो चार दिन छोड़कर यह माह नफ़्ली रोज़ों में गुज़ारते थे।

(2) शाबान की पन्द्रहवीं रात नफ़्ली नमाज़ों में गुज़ारनी चाहिये।

(3) शाबान की पन्द्रहवीं तारीख को रोज़ा रखना चाहिये।

(4) इस रात में हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कब्रिस्तान तशरीफ ले गये मगर वहाँ न मेला लगा न चिराग जलाया न बहुत-से लोग गये।

(5) शाबान की पन्द्रहवीं रात में करीब वाले आसमान की जानिब खुदा तआला की खास तवज्जोह होती है और भारी तायदाद में गुनाहगारों की बरिंधश कर दी जाती है, लेकिन इन लोगों की बरिंधश नहीं होती- कीना रखने वाला, रिश्ता और ताल्लुक़ात तोड़ने वाला, तहवन्द या पाजामा टख्नों से नीचे लटकाने वाला, माँ-बाप की नाफ़रमानी करने वाला, शराब की आदत रखने वाला, किसी का नाहक क़त्ल करने वाला।

साथ ही हदीस की रिवायतों से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला शाबान की पन्द्रहवीं रात में आने वाले साल के पैदा होने वालों और मरने वालों के बारे में फैसला फ़रमाते हैं। अल्लाह को तो हमेशा

से ही मालूम है कि कब किसकी मौत व ज़िन्दगी होगी, लेकिन इस रात में फ़रिश्तों को मरने-जीने वालों की फ़ेहरिस्त दे दी जाती है और इस रात में नेक आमाल कबूलियत के दरजे में उठा लिये जाते हैं, और इस रात में रिज्क भी नाज़िल होते हैं। (यानी कितना रिज्क साल भर में किसको मिलेगा इसका इल्म फ़रिश्तों को दे दिया जाता है)।

इसके अलावा हदीस की रिवायतों से यह भी मालूम हुआ कि इस रात में अल्लाह तआला फरमाते हैं कि है कोई जो मुझसे रिज्क तलब करे? मैं उसे रिज्क दूँ। है कोई मुसीबत में मुब्लियत जिसे मैं आफ़ियत दूँ। है कोई मग़फिरत तलब करने वाला जिसे मैं बख्श दूँ! वगैरह।

हदीस की रिवायतों से शाबान के महीने और इस महीने की पन्द्रहवीं रात और पन्द्रहवें दिन के बारे में जो कुछ मालूम हुआ उसका खुलासा अभी आपके सामने लिख दिया गया। मोमिन बन्दों को चाहिये कि शाबान के पूरे महीने में खूब ज्यादा नफ़्ली रोज़े रखें और पन्द्रहवीं रात ज़िक्र दुआ और नमाज़ में गुज़ारें और पन्द्रहवीं तारीख को रोज़ा रखें।

कोई मर्द कब्रिस्तान में चला जाये तो वह भी ठीक है मगर इजतिमाई (सामूहिक) तौर पर न जाये, न चिराग जलाये।

शाबान की पन्द्रहवीं रात में जो बिद्रअ़तें और खुराफ़ात

अन्जाम दी जाती हैं उनका बयान

इस मुबारक रात के फ़ज़ाइल व बरकतों लिखने के बाद अफ़सोस के साथ लिखना पड़ता है कि आज हमारे ग़लत आमाल ने इसके सवाब को अ़ज़ाब से और बरकतों को दीनी और दुनियावी नुक़सान से बदल दिया है, और हमने बरकत वाली रात को पूरी तरह गुनाह और मुसीबत बना लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की

जिन्दगी का पाक नमूना छोड़कर किस्म-किस्म की बिद्रुअतें और तरह-तरह की रसमें ईजाद कर ली गयी हैं जिनको फराईज़ की तरह पाबन्दी से अदा किया जाता है जिनमें से बाज़ी ये हैं:

आतिशबाज़ी और रोशनी

यह रस्म न सिर्फ़ एक बे-लज्ज़त गुनाह है बल्कि इसकी दुनियावी तबाहियाँ भी आँखों के सामने आती हैं। इसमें एक तो अपने माल को ज़ाया करना है और बेजा फुजूल ख़र्ची है जो बरबादी का ज़रिया है। कुरआन मजीद में इरशाद है:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا أَخْوَانَ الشَّيْطَنِ

तर्जुमा: बेशक फुजूल ख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं।

और इरशाद है:

وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

तर्जुमा: और फुजूल ख़र्ची न करो क्योंकि बिला शुभा अल्लाह तआला फुजूल ख़र्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता।

जिस कौम की आर्थिक हालत नाजुक और ख़तरनाक हो और ग़रीबी ने दूसरी कौमों का गुलाम बना रखा हो उसका इतना रुपया-पैसा इस तरह फुजूल और बेहूदा रस्म में ज़ाया हो तो उसकी कौमी जिन्दगी की तरक्की की क्या उम्मीद की जा सकती है? हर साल इस रात में यह ग़रीब व मुफ़्लिस कौम लाखों रुपया आतिशबाज़ी अनार और पटाख़े वगैरह छोड़ने पर ख़र्च कर देती है और गाढ़ी कमाई को आग में झोक करके मुबारक रात की बरकतों को भस्म कर डालती है। यह अमल शरीअत के खिलाफ़ होने के साथ-साथ अ़क्ल के भी खिलाफ़ है।

बच्चों को आतिशबाज़ी फुलझड़ी अनार पटाख़े छोड़ने के लिये पैसे

दिये जाते हैं और उनको बचपन ही से खुदा तआला के अहकाम की खिलाफ़वर्जी (उल्लंघन) की मशक् कराई जाती है। बहुत-से बड़े और बच्चे जल जाते हैं बल्कि बाज़ मर्तबा दुकानों और मकानों तक में आग - लग जाती है, फिर भी यह बुरी रस्म नहीं छोड़ते। अल्लाह समझ दे।

बहुत-सी मस्जिदों और घरों में ज़रूरत से ज्यादा चिराग जलाये जाते हैं, कुमकुमे रोशन किये जाते हैं, लाईट का इज़ाफ़ा किया जाता है, बहुत ज्यादा रोशनी की जाती है, घरों से बाहर दरवाज़ों पर कई-कई चिराग रोशन किये जाते हैं, और बाज़ जगह मकानों की मुन्डेरों पर और दीवारों पर कतार के साथ चिराग जलाकर रख दिये जाते हैं। यह सब फुजूल ख़र्ची है जिसके बारे में कुरआन का हुक्म अभी ऊपर मालूम हो चुका है।

यह चिरागँ हिन्दुस्तान के मुश्किलों और हिन्दुओं की दीवाली की नक़ल है और सख्त हराम है। आग से खेलना और आग का शौक रखना आतिश-परस्तों (आग को पूजने वालों) के यहाँ से चला है। बाज़ बुजुर्गों ने फ़रमाया है कि यह शबे बरात में ज्यादा रोशनी करने का सिलसिला बरामिका से शुरू हुआ है। ये लोग पहले आतिश-परस्त थे, जब इस्लाम के नामलेवा बने तो उन्होंने उस वक्त भी यह रस्म जारी रखी ताकि मुसलमानों के साथ नमाज़ पढ़ते वक्त आग सामने रहे। कैसे अफ़सोस की बात है कि मुसलमानों ने आतिश-परस्तों (आग को पूजने वालों) की चीज़ अपना ली।

अ़जीब बात है कि आसमान से रहमतों का नुजूल होता है और नीचे रहमतों का मुकाबला आतिशबाज़ी और फुजूल ख़र्ची और तरह तरह के गुनाहों के ज़रिये किया जाता है। अल्लाह का इरशाद होता है, कोई है जो मुझसे माँगे? और यहाँ माँगने के बजाय बुराई, गुनाह और खेल-तमाशे में गुज़ारते हैं।

मस्जिदों में इकट्ठा होना

रात को जागने के लिये अगर इत्तिफ़ाक़न दो-चार आदमी मस्जिद में इकट्ठे हो गये और अपनी नमाज़ व तिलावत में मशगूल रहे तो इसमें कोई हर्ज़ नहीं, लेकिन बाज़ शहरों में इसको भी इस हद तक पहुँचा दिया गया है कि इसको रोकने की ज़रूरत है- जैसे बुला-बुलाकर पाबन्दी से लोगों को जमा करते हैं, शबीना करते हैं जिसमें नवाफ़िल जमाअत के साथ पढ़े जाते हैं जो नाजायज़ है। मर्द व औरत और बच्चे आते हैं और शोर-शराबा होता है, बे-पर्दगी होती है हालाँकि औरतों को फ़र्ज़ नमाज़ के लिये भी मस्जिद जाने से रोका गया है फिर नफ़्तें पढ़ने के लिये जाने की गुंजाइश कैसे हो सकती है। हज़ारते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जिनसे ज्यादा इबादत का कोई शौकीन नहीं हो सकता कभी इस तरह जमा न हुए थे। ग़फ़्लत और जहालत की वजह से बहुत-सी बातें मसाजिद के आदाब के खिलाफ़ हो जाती हैं और अल्लाह के फ़रिश्तों की तकलीफ़ का सबब होकर बजाय नफ़े के नुक़सान और घाटे का सबब बन जाती हैं। इन सब बिद्ऱअतों और नाजायज़ बातों में मशगूल होने से बेहतर है कि आदमी पैर फैलाकर सो जाये।

हलवे की रस्म

इसको ऐसा लाजिम कर लिया गया है कि इसके बगैर शबे बरात ही नहीं होती, फ़राईज़ व वाजिबात के छोड़ देने पर इतना अफ़सोस नहीं होता जितना हलवा न पकाने पर होता है। और जो शख्स नहीं पकाता उसको कंजूस वहाबी बखील बगैरह के अलकाब दिये जाते हैं। एक गैर ज़रूरी चीज़ को फ़र्ज़ और वाजिब का दर्जा देना गुनाह और बिद्ऱअत है। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम के जब दाँत मुबारक शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हलवा खाया था यह उसकी यादगार है। और कोई कहता है कि हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु इस तारीख में शहीद हुए थे उनके लिये सवाब पहुँचाना है। अब्वल तो सिरे से यही ग़लत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दाँत मुबारक इन दिनों में शहीद हुए थे या हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु इस तारीख में शहीद हुए, क्योंकि दोनों हादसे शब्बाल के महीने में पेश आए हैं, फिर अगर मान लो कि शाबान में होने का सुबूत ख्वाह-मख्वाह मान भी लिया जाये तब भी इस किस्म की यादगारें बगैर किसी शरई हुक्म के कायम करना बिद्भुत और नाजायज़ है। और यह अजीब तरह का सवाब पहुँचाना है कि खुद ही पकाया और खुद ही खा गये, या दो-चार अपने यार-दोस्तों को खिला दिया।

गरीब और मिस्कीन लोग जो खैरात के असल हक़दार हैं वे यहाँ भी देखते ही रह जाते हैं, किसी फ़कीर को एक चपाती और ज़रा-सा हलवा देकर पूरे हलवे के सवाब पहुँचने का यक़ीन कर लेते हैं और यह बात भी अजीब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तो (अगर मान लो) दाँत मुबारक शहीद होने की वजह से हलवा खाया मगर नालायक उम्मती बगैर किसी दुख-दर्द के हलवा उड़ा रहे हैं। अल्लाह तआला ही समझ दे। “अल्-मदख़ल” किताब के मुसन्निफ़ इस रात की फ़ज़ीलत बयान करने के बाद कहते हैं:

तर्जुमा: फिर कुछ लोग (बिद्भुती मिज़ाज के) आ गये, जिन्होंने असल सूरत को उलट दिया, जैसा कि शबे बरात के अलावा दूसरे उम्र में भी उन्होंने ऐसा किया है जिसका नतीजा यह है कि जो भी मुबारक ज़माना ऐसा है जिसकी बरकतें हासिल करने की और अल्लाह तआला की रहमतें लेने की शरीअत ने तरगीब दी है, शैतान ने अपनी

तमाम कोशिशें और मक्कारियाँ इस पर ख़र्च कर दीं कि जो लोग उसकी बात पर कान धरते हैं उनको बड़े-बड़े सवाब से आम खैर से मेहरूम कर देता है, अल्लाह अपने फ़ज्जल व करम से हमें शैतानी तरीकों से महफूज़ फरमाये। फिर शैतान ने इसी पर बस नहीं किया कि अपनी शैतानियत के कारण उनको अपनी तरफ़ लगा लिया और उनको बड़ी खैर से मेहरूम कर दिया बल्कि उनको इबादत और खैर की जगह ऐसे कामों में लगा दिया जो इबादत की ज़िद हैं (यानी इबादत के खिलाफ़ हैं) उनके लिये बिद्रअतें जारी कर दीं और नफ़स की ख्वाहिशों में मुब्तला कर दिया और खाने-पीने की चीज़ें और मिठाइयाँ ऐसी निकाल दीं जो मूर्तियों की शक्ति में होती हैं, शरअ्न जिनका बनाना और घर में रखना हराम है।

मसूर की दाल

बाज़ लोग इस तारीख में मसूर की दाल ज़्यास्तर पकाते हैं। इसकी ईजाद की वजह अब तक मातूम नहीं हुई। इसमें भी वही ख़राबियाँ मौजूद हैं जो हलवे की रस्म में ज़िक्र की गयी हैं जैसे फ़र्ज़ की तरह नाज़िम कर लेना और जो न पकाये उसको बुरा समझना और बुरा-भला कहना।

बरतनों का बदलना और घर का लीपना

बाज़ लोगों ने इस रात में घर लीपने और बरतन बदलने की आदत डाल रखी है, यह भी महज़ बेकार और बे-असल है और हिन्दुओं के साथ मुशाबहत है जिसकी हदीस व कुरआन में सख्त मनाही है।

हासिल यह कि शाबान की पन्द्रहवीं रात मुबारक रात है इसमें नमाजें पढ़ना और ज़िक्र व तिलावत में लगना चाहिये और सुबह को

रोज़ा रखना और भी ज्यादा सवाब का काम है। और हलवे की पाबन्दी करना और बत्तियाँ ज्यादा जलाना, कब्रिस्तान में मेले लगाना, चिरागँ करना, आतिशबाज़ी फुलझड़ी पटाखे छोड़ना ये सब वातें शरीअत के खिलाफ हैं और बिदूअत हैं।

अल्लाह तआला ने मुबारक रात नसीब फरमायी इसका तकाज़ा यह था कि हम शुक्रगुज़ार बन्दे बनते और इबादत व नेकियों में लगते लेकिन शैतान ने इबादतों से हटाकर बिदूअतों में लगा दिया। शैतान हमेशा अपनी कोशिश में लगा रहता है।

अल्लाह तआला हम सब की हिफाज़त फरमाए आमीन।